

इज्जतनगर

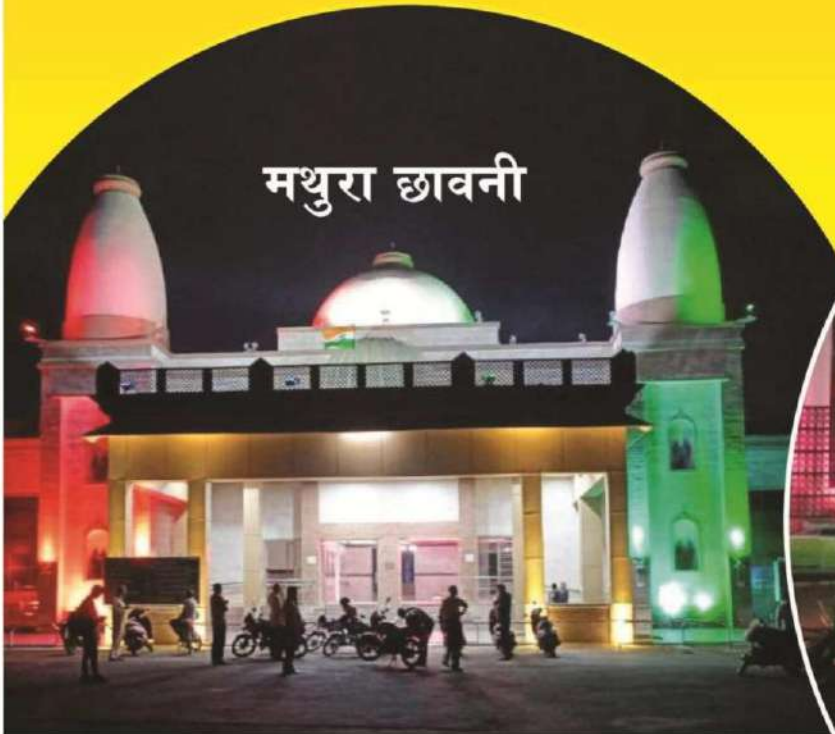


जून-2023

रेल प्रज्ञा

इज्जतनगर मंडल की राजभाषा पत्रिका

मथुरा छावनी





पूर्वोत्तर रेलवे

रेखा यादव

मंडल रेल प्रबंधक

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर-243122

फोन : 0581-2515946

ई-मेल : drm@izn.railnet.gov.in



संदेश

किसी भाषा का महत्व और अस्तित्व उसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता पर आधारित होता है। भाषाई विविधता एवं बहुआयामी संस्कृति के बावजूद हिंदी भाषा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो कर अनेकता में एकता को समृद्ध किया है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग की जाती है। देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।

इस मंडल पर अपने अब तक के कार्यकाल में मैंने अनुभव किया है कि यहाँ हिंदी प्रयोग का वातावरण है। सरकारी कार्य की अधिकांश मदों में शत-प्रतिशत हिंदी का प्रयोग हो रहा है। यही कारण है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को केंद्रीय सरकार के बरेली स्थित कार्यालयों की श्रेणी में सर्वाधिक हिंदी प्रयोग और भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही इज्जतनगर मंडल की राजभाषा ई-पत्रिका 'रेल प्रज्ञा' के गत अंक को उत्कृष्ट पत्रिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

भारत एक बहुभाषी देश है, भाषा में इतनी विविधता होने के बाद भी देश की अस्मिता एवं आत्मा हिंदी में ही विद्यमान है। हिंदी सर्वाधिक सरल, सुबोध और प्रवाहमयी भाषा है। आज विश्व में यह तेजी से अपनी जगह एवं पहचान बना रही है।

'रेल प्रज्ञा' पत्रिका का यह संयुक्तांक अत्यन्त रोचक और ज्ञानवर्धक है। मैं इसकी सफलता की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि अधिकारी एवं कर्मचारी गण इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनायें।

रेखा यादव

राजीव अग्रवाल

अपर मंडल रेल प्रबंधक (परि.)
एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर-243122



पूर्वोत्तर रेलवे



प्रधान सम्पादक की कलम से.

प्रिय पाठकगण,

विश्व की कई भाषाएं और बोलियां विलुप्त हो चुकी हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर हैं, किंतु हिंदी भाषा पर इस प्रकार का कोई संकट नहीं है, बल्कि गर्व के साथ यह कहा जा सकता है कि हिंदी के माध्यम से नई ऊर्जा और ज्ञान का संचार हो रहा है। ऐसे में हिंदी और सशक्त होकर उभर रही है तथा इससे देश के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।

हिंदी को राजभाषा होने का गौरव मात्र इसलिए नहीं दिया गया कि यह भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि इसलिए कि हिंदी जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने-कोने में विद्यमान हैं। ये लोग हिंदी में अपने भाव व्यक्त करते हैं तथा दूसरों की बात समझ लेते हैं।

प्रसन्नता का विषय है कि केन्द्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फैसला किया है। इसके लिए पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराया गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराने की व्यवस्था की गई है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग सरल हो तथा अधिकारी एवं कर्मचारी गण अधिक से अधिक इस ओर आकर्षित हों इस प्रयोजन के लिए गृह-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। गृह-पत्रिकाओं के प्रकाशन से राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। पत्रिकाओं के प्रकाशन से एक ओर जहाँ अधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी लेखन प्रतिभा उजागर करने के लिए एक सशक्त मंच मिलता है वहीं दूसरी ओर ये पत्रिकाएँ मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों के कार्यकलापों एवं जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर कर सभी को नई-नई सूचनाओं से लाभान्वित करती हैं।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग, इज्जतनगर द्वारा 'रेल प्रज्ञा' पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका से इज्जतनगर मण्डल पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग का एक वातावरण निर्मित हुआ है।

मैं आशा करता हूँ कि 'रेल प्रज्ञा' पत्रिका का यह अंक अपने वैविध्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक लेखों तथा कविताओं से सभी का स्वस्थ मनोरंजन करेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित..

राजीव अग्रवाल

प्रभाकर कुमार मिश्र

राजभाषा अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर-243122



पूर्वोत्तर रेलवे

सम्पादकीय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 351 के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मूलतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

संविधान द्वारा सौंपे गए इस दायित्व के निर्वहन के लिए संघ सरकार द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें राजभाषा विभाग का गठन, शब्दकोशों का निर्माण, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन, हिंदी शिक्षण योजना एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से हिंदी, हिंदी टाइपिंग एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण कार्य, राजभाषा कार्यान्वयन एवं सलाहकार समितियों का गठन आदि शामिल हैं। इस प्रकार भारत सरकार संघ के कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राजभाषा प्रयोग की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

राजभाषा के मामले में सरकार ने प्रेरणा, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की नीति अपनाई है। सरकार का उद्देश्य रहा है कि कार्यालयों में राजभाषा प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, तकनीकी-गोष्ठियों, साहित्यिक-संगोष्ठियों आदि के आयोजन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी दिवस /हिंदी सप्ताह /हिंदी पखवाड़ा समारोह, कवि-सम्मेलन, नाटक-मंचन और साहित्यकार जयंती समारोह आदि विशेष आयोजन भी होते हैं। राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में विभाग की राजभाषा पत्रिका का योगदान सिद्ध हो चुका है। इज्जतनगर मंडल की राजभाषा पत्रिका 'रेल प्रज्ञा' पिछले कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। रेलवे की राजभाषा पत्रिकाओं में इसने एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इसका नवीनतम अंक आपके हाथ में है यह प्रयास किया गया है कि इसमें विविध विषयों पर सामग्री दी जाए।

सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाओं से हमें प्रोत्साहन और पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए प्रतिक्रियाओं का सदैव स्वागत है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित...

प्रभाकर कुमार मिश्र

	अनुक्रमणिका	
	क्र.सं.	पृष्ठ सं.
 संरक्षक रेखा यादव मंडल रेल प्रबन्धक परामर्श विवेक गुप्ता अपर मंडल रेल प्रबन्धक (इन्फ्रा) प्रधान संपादक राजीव अग्रवाल अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबन्धक (परिचालन) संपादक प्रभाकर कुमार मिश्र राजभाषा अधिकारी संपादन सहयोग आलोक कुमार वरिष्ठ अनुवादक संजीव कुमार वरिष्ठ अनुवादक अकिता मिश्रा कनिष्ठ अनुवादक अमरेन्द्र कुमार यादव कनिष्ठ अनुवादक  	1. मंडल रेल प्रबन्धक का संदेश 2. प्रधान सम्पादक की कलम से 3. सम्पादकीय 4. लघु कथा शीर्षक: जोर का झटका 5. काव्य प्रवाह अमर संत 6. एकता रचना 7. रेलवे सुरक्षा बल 8. जीवन-काल 9. लाता स्पंदन है 10. नारों का विवरण निम्नानुसार है 11. स्त्री का सिनेमा में प्रतिनिधित्व 12. एक भारत श्रेष्ठ भारत 13. विश्व पटल पर हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता 14. भूल का अहसास 15. हिंदी निबंध - सरकारी काम काज में सरल हिंदी का प्रयोग 16. सूचना क्रांति के युग में हिंदी की दशा एवं दिशा 17. निरंकार देव सेवक हिंदी बाल साहित्य के आधार स्तंभ 18. विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का वैकल्पिक माध्यम 19. राजभाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां 20. अमृता प्रीतम-वरिष्ठ पंजाबी साहित्यकार 21. अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के अवसर 22. प्रशंसा सबकी, निंदा किसी की नहीं 23. ग़ज़ल 24. गंगासागर 25. ग़ज़ल 26. कार्यालय में प्रयोग में आने वाली नेमी टिप्पणियाँ	उपदेश भारद्वाज ऋतेश कुमार सहानी ऋतेश कुमार सहानी बृज मोहन शर्मा बृज मोहन शर्मा परमजीत परमजीत नीतू कुमार जितेन्द्र सुरेश बाबू मिश्र सुरेश बाबू मिश्र प्रभाकर मिश्र अमरेश कुमार संजीव कुमार संकलित संकलित आलोक कुमार अजय कुमार सिंह बलदेव नागपाल अनुराग मैनपुरी लक्ष्मण शिवहरे आलोक यादव संकलित 6 6 7 8 9 9 9 10-11 12 13-14 15-16 17-18 19-22 23 24 25-26 27-28 29-33 34 35 35 36 37

निःशुल्क वितरण हेतु

(पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में व्यक्ति विचार लेखकों/रचनाकारों के अपने हैं)

लघुकथा ज़ोर का झटका

दारू के ठेके पर,
कल.. ज़ोर का एक झटका धीरे से लगा..
जब उस तरफ़ जाते अपने एक
दशकों पुराने साथी को अरसे बाद देखा..
मैंने उन से नज़रें बचाई गर्दन अपनी
दूसरी तरफ़ घुमाई..
झांककर उन्हें हमने किनारे हो देखा।
नोट 500 का निकाला उन्होंने और
हाफ़ एक सस्ता सा लिया..
बचे पैसों से, साथ की दुकान से कुछ
नमकीन पानी जैसा सामान लिया..।
जब तक वो वापस गाड़ी की तरफ़ घूमे
मन में अफ़सोस लिए
हम भी बिना उन्हें नज़र आए वहाँ से घूमे..
जो आदमी दो दशक पहले
गाड़ी में पीछे बैठ चलता था
रु.2- 3000 के नीचे दाम की बोतल पे
कभी उनका हाथ नहीं चलता था
आज..
ये हालत उनकी कैसे हो गयी
जानने का मन तो बहुत हुआ लेकिन
मेरी फ़ितरत नहीं
किसी की दुखती रग पे हाथ रखूँ
हालाँकि..
माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है
अपनी सँभाले बनती नहीं
दूसरों की खोलते थकते नहीं..
लेकिन हम तो सबसे अलग ही हैं जो
किसी माहौल में ढलते नहीं
किसी के बताए रास्ते कभी चलते नहीं
रास्ते खुद हमें चुनते हैं
जिनपे चलके..
हम अपने चंद सपने बुनते हैं।

उपदेश भारद्वाज
155 A, सेक्टर 72, नोएडा, गौतमबुद्धनगर

काव्य प्रवाह अमर संत स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में

रोम रोम में जिनके बसता सदा परम
आनंद है,
ऐसे विमल विवेकी सज्जन स्वामी
विवेकानंद है।



मानवता पथ अनुसरण है सीख
विवेकानंद जी की,

12 जनवरी अवतारी तारीख विवेकानंद जी की,
बाल पने का नाम नरेंद्र युवा आदर्श आशीष पसंद है।
निर्बल निर्धन की निस्वार्थ सेवा हर मानव का धर्म है
पर निंदा भ्रम वैर ईर्ष्या भय कटु भाषण अधर्म है
यह शिक्षा विवेकानंद जी की मानवीयता का छंद है।
हर प्राणी को शुद्ध आत्मा देखो अहिंसा का दिया
फरमान,

भारत बने विश्व गुरु अपना विवेकानंद जी का
अरमान,
सहज सरल स्थिर मति मानी रखा कभी न द्वंद है।
धन से बड़ा चरित्र सदा ही विवेक से यह समझाया
शिकागो विश्व धर्म संसद में मान राष्ट्र का बढ़ाया
रिश्ते परमहंस सदगुरु जी से पाया नित्य आनंद है
ऐसे विमल विवेकी सज्जन स्वामी विवेकानंद है

ऋतेश कुमार सहानी
बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
8899177895

एकता रचना

गुरुओं वीरों अवतारों ने एकता का भाव जगाया है।
कभी बेर भीलनी के खाए कभी साग विदुर का खाया है।
सब सदग्रंथों ने मानव को एकता का मार्ग सुझाया है।
अनेकता में एकता ही भारत का सरमाया है।
एकता की शक्ति से ही सकल राष्ट्र परिवार बनेगा।
एकता से ही सदभाव बनेगा सुंदर यह संसार बनेगा।
हिंदू का ह मुस्लिम का म जब जुड़ता शब्द हम बनता है।
वो उतनी ऊंचाई पाता जो जितना भी नम बनता है।
एकत्व के भाव में बहने वाला शांतिदूत हर दम बनता है।
सदुपयोग एकत्व से सम्भव सकल जगत गुलजार बनेगा।
एकत्व से ही सदभाव बनेगा सुन्दर यह संसार बनेगा।
हो परम पिता की अति कृपा तो ही मानव तन मिलता है।
सौहार्द भाव से मनुज रहे तो कमल पुष्प सम खिलता है।
तन में जिसके शीलता व मन में जिसके निर्मलता है।
ऐसा महामानव ही जग में सदा जख्म दिलों के सिलता है।
सतयुग का होगा सूर्योदय सकल जगत उजियार बनेगा।
एकता से ही सदभाव बनेगा सुन्दर यह संसार बनेगा।



ऋतेश कुमार सहानी
बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
8899177895

पुष्प की अभिलाषा

चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ,
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ,
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ,
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊँ,
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृ भूमि पर शीश-चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक।

माखन लाल चतुर्वेदी

रेलवे सुरक्षा बल

हम हैं, रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

रेल- संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा हम उठाते हैं।
रेल- यात्रियों को भी सुरक्षा का एहसास कराते हैं।।
हम अपनी कार्य-प्रणाली से सबको चौंकाते हैं।
आगे आकर सबकी मदद को हाथ बढ़ाते हैं।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

हमारी सुरक्षा हेल्प लाइन तो गजब का काम करती है।
यात्रियों के कीमती सामानों को हमेशा सौंपा करती है।।
हम गाड़ी अनुरक्षण के समय पर विशेष नजर रखते हैं।
बर्थ पर पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति की भी मदद करते हैं।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

चाहे, रोगी यात्री को दवा, भूखे बच्चे को दूध पहुँचाना हो।
चाहे, उतरते-चढ़ते वक्त यात्री का जीवन बचाना हो।।
चाहे, कोरोना- काल में यात्रियों को खाना बटवाना हो।
चाहे, असहाय यात्रियों की मदद को हाथ बढ़ाना हो।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

चाहे, लोकसभा, विधानसभा चुनाव संपन्न कराना हो।
चाहे, श्वान दस्ता साथ लेकर अपराधी पकड़वाना हो।।
चाहे, नई-नई तकनीकों से अपराधों का पता लगाना हो।
चाहे, सभी विभागों से तालमेल कर रेल को दौड़ाता हो।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

जो भी बाधा रेल में आए, मिलकर उसे हटाना हो।
जो अपराधी अपराध करे, उसको जेल पहुँचाना हो।।
यात्रियों की सुरक्षा खातिर, भले जीवन दाँव लगाना हो।
रेल- संपत्ति की सुरक्षा में बलि-बेदी चढ़ जाना हो।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।



हम, बुजुर्गों महिलाओं एवं बच्चों का
विशेष ख्याल रखते हैं।
हम, अपने कार्यों को सदैव, जागरूक
होकर ही करते हैं।।
हम, अपराधियों का भी डटकर मुकाबला
करते हैं।
हम, बल का अनुशासन अव्वल दर्जे का बनाए रखते हैं।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

हम, अपने अधिकारियों के निर्देशों का बखूबी पालन करते हैं।
दुर्घटना-स्थल पर जाकर राहत बचाव युद्ध-स्तर पर करते
हैं।।
पंजीकृत मामलों की जांचों को समय-सीमा में पूरा करते हैं।
बल की छवि को ऊँची बनाए रखने का प्रयास करते हैं।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।

हम, महिला कर्मियों के माध्यम से, महिला-यात्रियों में
विश्वास जगाते हैं।
हम, रात्रि के समय अकेली महिला-यात्री को उसके घर
पहुँचाते हैं।।
हम, मेरी सहेली के माध्यम से उनकी मदद को हाथ बढ़ाते हैं।
हम, नक्सल प्रभावित जगहों पर कोरस- कमांडो फोर्स लगाते
हैं।।

हम हैं रेलवे सुरक्षा बल।
हमारे पास हैं, सुरक्षा के सारे हल।।
जय हिंद जय भारत जय रेलवे सुरक्षा बल।

- बृज मोहन शर्मा
एएसआई सीआईबी / इज्जतनगर

जीवन-काल

यह चिड़िया का घोंसला है, जनाब।
चिड़िया ने क्या-क्या देखे थे, खाब।।

सबसे पहले चुर्निदा जगह को तलाशा था।
फिर घरोंदे को बड़ी ही शिद्दत से तराशा था।।



धीरे-धीरे इसी घरोंदे में दो बच्चों की
पैदाइश हो गई।
जब बड़े हुए तो उनकी अपनी-अपनी फरमाइश हो गई।।

चिड़िया ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था।
तपती दोपहरी में भी दाना लाकर, घोंसले में खिलाया था।।

जब बच्चे बड़े होने लगे, तो घोंसला छोटा पड़ने लगा।
उसी आपाधापी में, एक बच्चा नीचे गिरा और दे गया दगा।।

चिड़िया ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर, इस सदमे को
झेला था।
अब तो केवल उस घोंसले में मां के साथ वह बच्चा अकेला था।।

चिड़िया ने भी धीरे-धीरे अपने सदमे को भुला दिया।
उस बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर बड़ा किया।।

बच्चे ने मां के साथ जब धीरे-धीरे उड़ने का नित अभ्यास
किया।
मां भी बड़ी खुश होती थी, जब उसके संग आसमान में साथ दिया।।

एक दिन वह बच्चा भी मां को छोड़ कहीं दूर चला गया।
मां भी समझ गई कि मेरे दिल को अब छला गया।।

अब उस घोंसले में तन्हा वह बेचारी रोया करती थी।
पूरी रात तड़पन, चिंता व खाबों में खोया करती थी।।

कोई खाने-पीने का समय नहीं, कृषगात हुआ था अब उसका।
एक दिन प्राणों को त्याग दिया, कौन हुआ है कब किसका।।

वृज मोहन शर्मा

लाता स्पंदन है

संघर्ष बिना जीवन भी कोई जीवन है।
संघर्ष ही जीवन में लाता स्पन्दन है।
हर प्राणी जन्म से ही संघर्ष में रत रहता,
दुःख सुख इस जगती में सबसे ही यह कहता,
वह जगज्जयी होता हँस-हँस कर सब सहता,
नदिया में जैसे जल पर्वत से है बहता,
मरुथल सिंचित हो कर बन जाता उपवन है।
बाल्यावस्था में भी जगना और सोना है,
भक्षण के हेतु सक्रम हँसना और रोना है,
यदि पाना कुछ तुमको तो कुछ तो खोना है,
जीवन में फूल काँटि दोनों को पिरोना है,
महके मन की बगिया यूँ मानस मर्दन है।
यह देश हमारा है तन, मन, धन अर्पित है,
उन्नति के लिये इसकी यह जान समर्पित है,
आदर्श और मर्यादा जब कपोल कल्पित है,
दायित्व निभाना भी लगता है वर्जित है,
सर्पों के विष से भी उन्मुक्त सुचंदन है,
अन्याय, अनादर ने लांघी हैं सीमायें,
अत्याचारों की जब लहरें आ टकरायें,
भ्रष्टाचारों की भी क्या महिमा बतलायें,
निर्बल और निर्धन को न धीर है डकरायें,
वह चीत्कार सुन-सुन टूटे मन दर्पण है।

नारों का विवरण निम्नानुसार है।

1. देश के हर निवासी को,
हर घर के वासी को
इस बार तिरंगा उठाना है,
इस बार तिरंगा उठाना है।
भारत देश का परचम,
पूरी दुनिया मे लहराना है।

2. हर घर तिरंगा,
हर घर की शान है,
हिन्दुस्तान में रहने वाले,
हर वन्दे की पहचान है,
झुकने न देंगे इस तिरंगे को,
क्योंकि यह हमारा अभिमान है,
दुनिया भी अब देख रही हमें,
क्योंकि बोल रहा हिन्दुस्तान है।

परमजीत, लोको पायलट माल,

एकीकृत लाबी, बरेली सिटी मो.नं.7895081484

"स्त्री का 'सिनेमा' में प्रतिनिधित्व"

'तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिए हताश है,
तू चल तेरे 'वजूद' की, समय को भी तलाश है....

'पिंक' फिल्म के गीत में उद्गारित ये पक्तियाँ आधुनिक भारतीय नारी के मन की भावनाओं व बदलते सामाजिक परिदृश्य में मजबूती से अपनी पहचान के लिए छटपटाती स्त्री का चित्रांकन बखूबी करती नजर आती हैं। आधुनिक भारतीय समाज की स्त्री 'जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा'.... गाती अबला या बेचारगी वाली छवि से कहीं बाहर निकल रही है और आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म साक्षात्कार के विरोध में किसी भी गड़ती गयी लीक/बाड़ के खिलाफ खड़ी हो रही है, चाहे वे पुरुषवादी मानसिकता, रीति रिवाज, नैतिकता के तथाकथित पाठ हों या अनावश्यक थोपी गयी मान्यताएं।

सभी सांस्कृतिक माध्यम चाहे वे थियेटर, आर्ट या आर्किटेक्चर हों, समाज के नैतिक तथा स्वीकृत दृष्टिकोण की ही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ये भी सच है कि सिनेमा का प्रभाव समाज पर कैसा पड़ता है, यह समाज की 'मानसिकता' पर निर्भर करता है। इस प्रकार से 'सिनेमा' जहां एक तरफ सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने तथा नई छवि गढ़ने का भी कार्य करता है। इस प्रकार यह द्विमार्गी प्रक्रिया है जिससे समाज तथा व्यक्ति दोनों प्रभावित होते हैं। दर्शकों पर सिनेमा/फिल्मों का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो 'मुम्बई फिल्म इन्डस्ट्री' दुनिया में सबसे बड़ी है तथा यहां प्रत्येक वर्ष हजारों फिल्में बनती हैं। परम्परागत रूप से फिल्मों में स्त्री का चित्रण स्टीरियोटाइप ही रहा है जिनमें उन्हें आदर्श, पारम्परिक, पवित्र, सहनशीलता, निस्वार्थ-भाव की 'देवी' जैसी छवि में चित्रित किया जाता रहा है।

हिंदी सिनेमा या यूँ कहें पूरा भारतीय सिनेमा व समाज ही नायक प्रधान रहा है। हिंदी सिनेमा अपने प्रारम्भ से ही समाज में स्त्री की स्थिति और समय के साथ उसकी बदलती भूमिका, उसकी चुनौतियों को सकारात्मक व लगभग आदर्श रूप में प्रस्तुत करता रहा है। सिनेमा के प्रारम्भ में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक फिल्मों के अनुरूप ही स्त्री पात्र उन्हीं पारंपरिक आदर्श भूमिकाओं में रही। हर काल में समाज की समस्याएं बदल जाती हैं ठीक वैसे ही जैसे हर उम्र में हमारी समस्याओं का रूप अलग-अलग होता है। हिंदी सिनेमा ने काफी सालों तक नारी की वही तस्वीर प्रस्तुत की जिस आदर्श की अपेक्षा पितृसत्तात्मक समाज को रहती है।

नारी जीवन की सार्थकता इस बात में है कि वो प्रेम को महत्व न देकर संस्कारों और परम्पराओं को महत्व दे, पति और बच्चों के लिए जिए उनके लिए व्रत, त्याग तपस्या करे। हर तरह से पति के

लिए लॉयल और समर्पित रहे। जो नारी इन मानकों के साथ अपना जीवन-यापन नहीं करती उसे खलनायिका का रूप दे दिया गया। इस तरह सिनेमा में दो तरह के चारित्रिक विशेषताओं के साथ नारी के चरित्र और उसके अच्छे बुरे होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और फिल्मों में वैसा ही दिखाया जाने लगा। धीरे-धीरे ये दो मुख्य छवियाँ बदलने लगीं और नायिका कई छवियों में हमारे सामने आयीं। शिक्षा, राजनीति, सेरोगेसी, लिब-इन-रिलेशनशिप, कॉर्पोरेट, देह व्यापार, मॉडलिंग, खेल-जगत, समलैंगिकता, ऐतिहासिक घटनाएँ, सेक्सुअलिटी, पत्रकारिता जैसे असंख्य विषयों को लेकर फिल्मों में नई नायिका की छवि उभर कर सामने आयी व नायिका प्रधान फ़िल्में बनने लगीं व नायिकाओं की एक अपनी अलग पहचान बनने लगी।

हिंदी सिनेमा, नायिका के इतने नये रंग, रूप, ढंग सामने लेकर आया जो हमने कभी सोचा नहीं था। ये प्रयास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समूह का है, पूरे सिनेमा समाज का है और समाज में हो रहे बदलावों के प्रभाव का है। ऐसा नहीं है की ये रूप काल्पनिक या फैंटसी है, समाज में कार्य के हर क्षेत्र में नारियों की सक्रियता, संख्या, और सहभागिता तेजी से बढ़ी है। कॉर्पोरेट, साहित्य, धर्म, फैशन, राजनीति आदि अनछुये क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपने योगदान से लोगों को चकित कर दिया है। समाज की यह धारणा कि हिंदी सिनेमा में नायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती और जो होती है वो पुरुष को रिझाने के लिए होती है जैसी सोंच को आधुनिक सिनेमा ने निर्मूल कर दिया है। बदलते परिवेश में महिला सशक्तिकरण पर आधारित कई फिल्मों का निर्माण हुआ जिसमें यथार्थ की भूमि पर मजबूती से पैर जमाती नायिका और भारतीय स्त्री का वास्तविक रूप समाज के सामने आया।

हिंदी सिनेमा के इतिहास से शुरुआत करें तो दादा साहब फाल्के द्वारा 1913 ई. में बनाई गई पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चन्द्र को ही ले लें, तो हम देखते हैं कि इस फिल्म की मुख्य चरित्र रानी तारामती है जो उच्च आदर्श, पतिव्रता, त्याग की प्रतिमूर्ति, कष्ट साधक तथा ममतामयी माँ की प्रतिमा है। असल में शुरुआती दौर की भारतीय फिल्मों में त्याग की प्रतिमूर्ति, श्रद्धा की देवी, उच्चतर आदर्श को पहचानने वाली, पति के प्रति पूर्ण समर्पित स्त्री-विम्बों की प्रधानता है। बाद में 'मदर इंडिया' 'लेडी टीचर' (1922), 'नर्तकी तारा' (1922), 'बाल विधवा' (1925), 'टाइपिस्ट गर्ल' (1926), 'अनारकली' (1928), 'आर्य महिला'



(1928), 'बहादुर बेटी' (1931) 'आजाद अबला' (1933) आदि फिल्मों ने एक भिन्न लकीर खींची। स्त्री की मानवीय तथा यथार्थपरक छवि पेश करने में इन फिल्मों की भूमिका जबर्दस्त है। फिल्म 'गाइड' में स्त्री के भीतर छिपी सृजनशील प्रतिभा का विद्रोह है। गुलजार निर्देशित फिल्म 'नमकीन' में एक व्यापक स्त्री-संसार है जो निराशा से घिरी होने के बावजूद पूरी ताकत और निर्भीकता के साथ विडम्बनापूर्ण जिन्दगी जीती है किन्तु उकताती नहीं है। फिल्म 'आँधी' में एक स्त्री, सत्ता में सीधे भागीदार बनकर राजनीति में पुरुष वर्चस्व के मिथक को तोड़ती हुई दिखाई पड़ती है।

सभ्यता के विकास के साथ ही हिंसा, असंतोष का विकास भी समाज में हुआ और ये हिंसा हर स्तर पर दिखाई पड़ती है। सम्पत्ति, स्त्री, अधिकार, वर्चस्व के लिए हमारा यहाँ केंद्र, स्त्री के साथ हो रही हिंसा से है जो समाज में हर क्षेत्र और वर्ग में व्याप्त है। हमारा मुद्दा यहाँ स्त्रियों के प्रति की गयी हिंसा से है ये हिंसा केवल - शारीरिक नहीं होती, मानसिक और मनोवैज्ञानिक भी होती है जो दिखती नहीं पर उसका प्रभाव - शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा गहरा होता है। बॉलीवुड ने समय-समय पर इसे अपने तरीके से दिखाया है और इसका विरोध भी किया है। समाज के एक बड़े वर्ग का ये आरोप है कि सिनेमा में हिंसा दिखाए जाने के कारण हिंसा में बढ़ोत्तरी हुई है, ये एक अलग बहस का विषय है। हिंदी फ़िल्में प्रारम्भ से ही हिंसा और उसके कई रूपों को दिखाती आई हैं, जनता ने उन्हें पसंद भी किया है और स्वीकार भी किया है। जहाँ आए दिन 'प्रेम' के मायने बदल रहे हों, एकतरफा प्रेम में तेजाब फेंकने से लेकर हत्या तक की खबरों से समाज आतंकित हो, जहाँ रिश्तों की मर्यादा खतरे में हो, वहाँ प्रेम, आजादी को, सेक्स का पर्याय बना देने की कोशिशें वाकई डराती हैं। 'लज्जा', 'मृत्युदण्ड', 'खूनभरी मांग', 'दामिनी', 'एक हसीना थी', 'बैंडिट क्वीन' कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें नायिकाएं खुद अपने लिए लड़ती हैं, प्रतिशोध लेती हैं और जुल्म का विरोध ही नहीं दोषियों को सजा भी दिलाती हैं।

पिछले कुछ दशकों में सिनेमा ने नायिकाओं के इतने स्वरूप दिखाए हैं कि ये एक नया विमर्श बन सकता है जिस पर स्वतंत्र रूप से पुस्तक या असंख्य लेख लिखे जाने चाहिए और लिखे जाने की जरूरत भी है। समाज में महिलाओं के जितने मुद्दे हैं, समस्याएं हैं उसके कुछ प्रतिबिम्बों को सिनेमा ने हमेशा ही दिखाने की कोशिश की है। आज के नए सिनेमा में नायिकाओं का जो मुखर रूप सामने आया है वो आज के दर्शकों व समाज के लिए नितान्त नया है खासतौर पर यदि पिछले दशक की फिल्मों का अवलोकन किया जाये तो ऐसी फ़िल्में हमारे सामने आयीं जिनके बारे में पता तो सबको है पर कोई उन विषयों पर मुखर होकर बात नहीं करना चाहता, स्वीकारना तो अलग बात है। इन फिल्मों में हम 'इंग्लिश विंग्लिश', 'हाईवे', 'क्वीन', 'पिक', 'पीकू', 'मरदानी', 'जज्बा', 'नोवन किल्ड जेसिका', 'चक दे इंडिया', 'निल बटे सन्नाटा', 'एन एच 10', 'बॉबी जासूस', 'नीरजा', 'मैरी कॉम' आदि तमाम बायोपिक से लेकर सच्ची घटनाओं तक

महिला केन्द्रित फ़िल्में आयीं, जिनमें पहली बार ऐसा लगा कि नये कार्य क्षेत्रों में दखल बना रही स्त्री की पहचान हिन्दी सिनेमा करा रहा है एवं उसकी भूमिका व चरित्र को अत्यंत सशक्त एवं पूरी परिपक्वता के साथ अभिव्यक्त करने की कोशिश करता दिखाई पड़ रहा है। फिल्म 'भूमिका' में चरित्र-नायिका का यह कथन गौरतलब है- 'सबकुछ बदलता है, लेकिन मर्द नहीं बदलता।' पुरुष का मूल गुण यह है कि वह पुरुष है जिसका एक रूढ़ मायने यह भी है कि वह स्त्री की नियति का नियंत्रक है, लेकिन सुखद है कि ऐसे में 'क्वीन', 'हाईवे' और 'हंसी तो फंसी' 'दावत ए इश्क' जैसी फ़िल्में आती हैं तो लगता है हिंदी सिनेमा ने अब महिलाओं की आजादी को पहचानने की शुरुआत की है। ऐसा नहीं कि 'क्वीन' में इस परिवर्तन के साथ 'रानी' कोई क्रांतिकारी लड़की हो जाती है, वह पहले की तरह ही सहज है- बस खुद को पहचान रही है और दुनिया को भी। उसका घूमना दरअसल दुनिया को देखना ही नहीं, दुनिया के आँदने में अपने-आप को देखना भी हो जाता है। यह हिंदी सिनेमा की नई नायिका, नई स्त्री है।

हिन्दी सिनेमा में स्त्रियों की यौनिकता को अश्लीलता का स्रोत बताया गया है जबकि पुरुषों को उसके पुरुषार्थ से जोड़ दिया गया है। 'लिंग संवेदना', 'स्त्री यौनिकता', 'देह विमर्श', 'योग्यता की समानता', पुरुष की तरह समान व्यवहार और इच्छाशक्ति दर्शाने वाली स्त्री जैसे प्रश्न आज तक हिन्दी सिनेमा के विषय कम बनते रहे हैं पर अब इन्हें प्रमुखता दी जाने लगी है। सिनेमा और टीवी की एक बड़ी समस्या यह है कि प्रायः महिलाओं को सेक्स प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। महिलाओं की समाज में बहुपक्षीय सार्थक भूमिका को सही-ढंग से दिखाने वाली कुछ फ़िल्में भी बनने लगी हैं।

ऐसा नहीं है कि स्त्री - केन्द्रित या स्त्री की समस्याओं से सम्बन्धित फ़िल्में, एक - दो दशक में बननी - शुरू हुई हों, यह जरूर है कि स्त्री पक्ष और समस्या के साथ ही नायक के योगदान और सहयोग को वरीयता दी जाती रही है पर अब हिंदी फ़िल्में इस तरह की वरीयता से मुक्त हैं। पर्दे पर लगभग वही दिखाया जाता है जो दिखाने के उद्देश से फिल्म निर्माता फिल्म बनाता है। ये भी सच है कि आधुनिकता, भूमंडलीकरण या उदारीकरण के फलस्वरूप स्त्री की सामाजिक, पारिवारिक स्थिति, परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मीडिया प्रोफेशनल्स को समाज के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों की एक स्टीरियोटाइप रहित, संतुलित छवि के विभिन्न एवं अभिनव प्रयोग हेतु आगे आना होगा एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को और गहराई से निभाते हुए समान भागीदारी, समरस, स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करना होगा।

नीतू

वरि- मंडल संरक्षा अधिकारी

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश

एक भारत श्रेष्ठ भारत



एक भारत श्रेष्ठ भारत
बहु भाषा बहु वेश का भारत
संस्कार के शीर्ष का भारत
अगणित परिवेश का भारत

धर्म जहाँ आकार पाता
कर्म यहाँ साकार होता
अर्थ की पूजा होती जहाँ पर
मोक्ष का यह देश भारत

बुद्ध, गौतम, विवेक, गाँधी
आजाद, भगत, सुभाष का भारत
जाने कितने महापुरुषों का
एक भारत श्रेष्ठ भारत

गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी
बहती है पावन नदियाँ
हिमालय रखवाली करता
सागर का मेहमान है भारत

कोस -कोस पर बदले बोली
तीन कोस पर पानी
अस्सी वर्षों में भी जहाँ पर
आये झूम जवानी

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई
और भी है कितने भाई

जान हैं देते जिस मिट्टी पर
एक भारत श्रेष्ठ भारत

नारी का सम्मान जहाँ पर
रिश्तों का अभिमान यहाँ पर
प्रेम की भाषा सबसे ऊपर
कृष्णलीला का मान यहाँ पर

अद्भुत मौसम, विस्तृत धरती
माँ बनकर जहाँ गौवें चरती
पशु सिखाते शिक्षा जातक
ज्ञान रूपी भण्डार है भारत

राम नाम की गूँज जहाँ पर
अल्लाह की अजान यहाँ पर
भावना की रीति जहाँ पर
इंसानी जज्बात का भारत

अनेक है पर एक भारत
संस्कृति -संस्कार का भारत
सभ्यता के शीर्ष का भारत
एक भारत श्रेष्ठ भारत !

कुमार जितेन्द्र

विश्व पटल पर हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता

हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। 14 सितम्बर 1949 को संवैधानिक रूप से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए 14 सितम्बर का दिन हमारे देश में हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विश्व में हिन्दी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 70 करोड़ है और यह विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का पहला और चीनी भाषा मंदारिन का दूसरा स्थान है। एक आंकलन के अनुसार विश्व में लगभग एक अरब बारह करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं जबकि लगभग एक अरब दस करोड़ लोग मंदारिन बोलते हैं। विश्व में चौथे नंबर पर स्पेनिश और पांचवे नंबर पर अरबी भाषा है।

वर्तमान समय में इंटरनेट ने हिन्दी को ग्लोबल भाषा बना दिया है। पिछले एक दशक में हिन्दी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता पूरे विश्व में बढ़ी है। आज हिन्दी विश्व के हर कोने में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर विश्व के 138 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। विश्व के लाखों लोग हिन्दी फिल्मों को देखने और हिन्दी गानों को सुनने के लिए हिन्दी सीख रहे हैं।

वेब मैग्ज़ीन, ई-बुक्स, ई-मेल और सोशल मीडिया से हिन्दी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। हिन्दी जानने समझने और बोलने वालों की बढ़ती संख्या के कारण विश्व भर की वेबसाइटें हिन्दी को महत्व दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम तथा ओरेकल जैसी कंपनियां भारत में अत्यंत व्यापक बाजार और भारी मुनाफे को देखते हुए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहीं हैं। एक आंकलन के अनुसार नेपाल के 8 लाख, अमेरिका के 7 लाख, दक्षिण अफ्रीका के 9 लाख, यमन के द्वाइ लाख, युगांडा के डेढ़ लाख, जर्मनी के तीस हजार, न्यूजीलैंड के बीस हजार और सिंगापुर के पाँच हजार लोग हिन्दी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आज विश्व के हर कोने में हिन्दी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे।

देश के दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र के लोगों में हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ी है और वहाँ हिन्दी बोलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के लोग भी हिन्दी सीख रहे हैं जो हिन्दी के लिए शुभ संकेत है।

आज फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और ब्लॉग पर हजारों साहित्यिक पटल, संचालित किए जा रहे हैं। जिनसे देश और विदेशों के लाखों साहित्यकार जुड़े हुए हैं। इनमें नवोदित और

स्थापित दोनों प्रकार के साहित्यकार हैं। इन साहित्यिक पटलों पर युवा साहित्यकार अपनी रचनाओं को अन्य साहित्यकारों के साथ साझा कर रहे हैं। इन साहित्यिक पटलों से बड़ी संख्या में हिन्दी प्रेमी एवं साहित्य प्रेमी जुड़ रहे हैं। वेब मैग्ज़ीन, ई-बुक्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और ब्लॉग ने हमारे युवा साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच प्रदान किया है जो हिन्दी साहित्य और हिन्दी दोनों के लिए सुखद है।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा की हिन्दी अपने गढ़ में ही उपेक्षित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार पूरी आमत तरह से हिन्द के गढ़ हैं। मगर इन प्रदेशों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बोलबाला है। आभिभावक एवं छात्र प्रायः उन्ही विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं जिनमें पढ़ने से उन्हें भविष्य में रोजगार मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए हिन्दी बाहुल्य क्षेत्रों के छात्र भी हिन्दी के अध्ययन के प्रति उदासीन हैं।

इण्टर उत्तीर्ण करने के बाद प्रत्येक छात्र बी.एस.सी., बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.टेक., आई.आई.टी., आदि में प्रवेश लेना चाहता है। इन सभी के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पश्चात भी इन कोर्सों हेतु हमारी सरकारें हिन्दी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पायी हैं। फिर छात्रों में हिन्दी अध्ययन के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न होगी। यदि इन सभी कोर्सों की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हो जाएं तो हिन्दी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता में भारी वृद्धि हो जाएगी।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार और देश में हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि हिन्दी रोजगार की भाषा बने। आज सरकारी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बहुत सीमित हैं। आज प्रतिभाशाली युवा सार्वजनिक क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान समय में मल्टीनेशनल कंपनियों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। यह हमारे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। विदेशी कंपनियां होने के कारण इनमें अधिक कार्य अंग्रेजी में ही होता है। इन कंपनियों में रोजगार की असीम संभावनाओं को देखते हुए देश के युवा हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को महत्व देते हैं क्योंकि इन मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार पाने के लिए अंग्रेजी का



अच्छा ज्ञान होना और अंग्रेजी में संवाद करने की योग्यता होना आवश्यक है।

आज भी देश की अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार के अधिकांश विभागों में सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। न्यायालयों की भाषा भी अंग्रेजी ही है। इसलिए स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी देश में अंग्रेजी का महत्व बना हुआ है।

बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना समाज का स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है जिससे देश के अधिकांश विद्यालयों में आज भी अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं जो गम्भीर चिन्ता का विषय है।

शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण छात्रों को विषयों को सीखने के लिए अधिक समय और श्रम लगता है जबकि वे हिन्दी में चीजों को आसानी और सहजता से सीख और समझ सकते हैं। मातृभाषा में अध्ययन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था – “सर्वसाधारण की उन्नति मातृभाषा के द्वारा ही हो सकती है और मनुष्य की मातृभाषा उसकी माँ के समान महत्व रखती है।”

महान वैज्ञानिक सी.वी. रमन ने कहा था – “यदि भारत में विज्ञान मातृभाषा के जरिए पढ़ाया गया होता तो भारत इस समय दुनिया के अग्रगण्य देशों में होता।”

केंद्र सरकार द्वारा 'नई शिक्षा नीति-2020' में विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है। यदि हमारी वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारें पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विद्यालयी शिक्षा हिन्दी भाषा में प्रदान करने में सफल हो जाती हैं तो इससे देश में हिन्दी के स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। हिन्दी के साथ ही देश की अन्य भाषाओं को भी बल मिलेगा और देश से अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान समय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार और हिन्दी में पारंगत नौजवानों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने में हिन्दी प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश में बड़ी संख्या में हिन्दी के समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। बड़ी संख्या में हिन्दी टी.वी. चैनल्स हैं। आजकल यूट्यूब चैनल्स का प्रचलन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। मीडिया के क्षेत्र में पैसा भी है और ग्लैमर भी। इसके साथ ही इनमें आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं भी हैं। हिन्दी का ज्ञान रखने वाले और प्रभावी तरीके से हिन्दी लिखने तथा बोलने वाले युवा इनमें संवाददाता, पत्रकार, सह-संपादक, संपादक, टी.वी. एंकर एवं छायाकार आदि के पदों पर अपनी

क्षमता एवं योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर पा सकते हैं। मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण आज हिन्दी बोलने वालों की संख्या में पूरे देश में तेजी से वृद्धि हो रही है।

प्रसार भारती ने हिन्दी को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले नौजवानों को रोजगार के सुलभ अवसर प्रदान करा रही है। पूरे देश में प्रसार भारती के द्वारा लाखों आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। इन केंद्रों से प्रसारित कार्यक्रम से हिन्दी बोलने एवं समझने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है।

देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि स्वतन्त्रता के इतने वर्षों बाद भी हम आम आदमी को उसकी अपनी भाषा में न्याय सुलभ नहीं करा पा रहे हैं। बीसों वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर काटने और अपनी गाड़ी कमाई का लाखों रुपए खर्च करने के उपरान्त जब उसके मुकदमे में निर्णय सुनाया जाता है और उसे न्याय की जो प्रति दी जाती है वह अंग्रेजी में होती है जिसे वह न पढ़ सकता है और न ठीक तरह से समझ सकता है। बस उसका वकील उसे इतना समझा देता है कि वह केस जीत गया है या हार गया है। आम आदमी को उसकी भाषा में न्याय मिले यह समय की मांग है। तहसील स्तर के मुंसीफी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरे देश में लाखों की संख्या में न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यदि सरकार हिन्दी को न्यायालय की भाषा बना दे तो कुछ ही समय में देश में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में करोड़ों लोगों की वृद्धि हो जाएगी।

वर्तमान समय में निश्चित रूप से हिन्दी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है। परंतु हिन्दी को रोजगार से जोड़े बिना हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना कठिन प्रतीत होता है। नई शिक्षा नीति में विद्यालयी शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान सामान्यतः हिन्दी के विकास में और हिन्दी को रोजगार पर ख बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यदि ऐसा होता है तो हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वर्तमान समय में हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है और यदि विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या इसी गति से बढ़ती रही तो अगले दशक में हिन्दी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी।

सुरेश बाबू मिश्रा
मो. नं. 9411422735

भूल का अहसास- कहानी

चौधरी रामकरन के यहाँ आज काफी चहल-पहल है। घर में सुबह से कई बार झाड़ू लग चुकी है। मकान का जाला वगैरह झाड़-पोंछ कर साफ कर दिया गया है। चौधरिन ने पूरा आंगन गाय के गोबर से लीपा है। सुबह से ही पकवान बनना शुरू हो गए हैं। घर में त्योहार जैसी गहमा-गहमी है।

आज चौधरी की बेटी सरला को कुछ लोग देखने आने वाले हैं। उन लोगों के स्वागत में ही यह सारी तैयारियाँ हो रही हैं। सुना है लड़का बैंक में नौकरी करता है। परिवार भी सम्पन्न है।

मेहमानों के स्वागत के लिए बैठक को अच्छी तरह सजा दिया गया है। चौधरिन ने सुबह ही मास्टर रेवती रमण के यहाँ से सोफा और कमला चाची के यहाँ से नया टी सेट मंगवा लिया था। चौधरी रामकरन, मास्टर रेवती रमण के साथ बैठे हुए मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। दोनों बारी-बारी से हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। घर में पड़ोस की चम्पा ताई और राधा बुआ बिना बुलाए ही आ गई हैं। वे दोनों पकवान बनाने में चौधरिन की मदद कर रही हैं।

सरला अपनी सहेलियों के साथ अन्दर कमरे में बैठी है। सहेलियाँ उससे हंसी-मजाक कर रही हैं। इंतजार की घड़ियाँ लम्बी होती जा रही हैं। चौधरी की नजर बार-बार दीवार पर टंगी घड़ी पर पहुँच जाती है। तभी किसी ने आकर बताया कि मेहमान आ गए। यह खबर सुनते ही घर में अफरा-तफरी सी मच गई।

चौधरी रामकरन और मास्टर रेवती रमण लपक कर बाहर आए और मेहमानों के स्वागत सत्कार में जुट गए। चौधरिन और चम्पा ताई लड़के की माँ तथा चाची को आदर पूर्वक अन्दर ले गईं।

कुशल-क्षेम के बाद चाय-नाश्ते का दौर शुरू हो गया है। चौधरी रामकरन मेहमानों को आग्रह कर-करके गर्म-गर्म पकौड़ी और रसगुल्ले खिला रहे हैं। मेहमान लोग अपने स्वागत-सत्कार से खूब प्रसन्न

दिखाई दे रहे हैं। सब लोग चटखारे ले-लेकर खा रहे हैं, और आपस में बातें कर रहे हैं।

लड़का भी साथ आया है। वह देखने में खूब स्वस्थ और सुन्दर है। चौधरी के घर वाले लड़के को देखकर बहुत खुश हैं।

सरला की सहेलियाँ बार-बार झाँक-झाँक कर लड़के को देख रही हैं, और सरला को छेड़ रही हैं।

लड़के की माँ बोली, “चाय-नाश्ता तो बहुत हो गया बहिन जी, अब जल्दी से सरला को बुलाओ मैं तो उसे देखने को व्याकुल हो रही हूँ।”

सरला की माँ उठकर अन्दर गई, और थोड़ी देर बाद सरला को लेकर लौट आई। सजी-सजाई सरला लजाई हुई सी सबके बीच में आकर बैठ गई। सरला की सुन्दरता को देखकर लड़के के माता-पिता खुश हो गए। वे आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे।

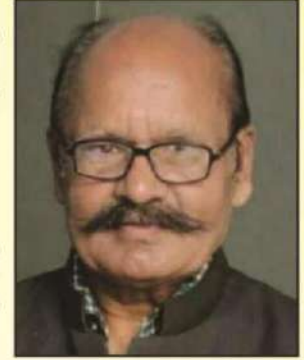
चौधरी रामकरन बात को आगे बढ़ाते हुए लड़के के पिता से बोले, भाई साहब, आपका खानदान बहुत ऊँचा है। लड़का भी अच्छे पद पर है। आपकी हैसियत के हिसाब से तो हम दहेज नहीं दे पाएंगे, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शान में कोई बट्ठा न लगे।

“कैसी बातें करते हो चौधरी जी! हमारे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। हमें तो एक सुन्दर और सुशील बहू चाहिए। आपकी लड़की हमें पसन्द है। हमारी दहेज की कोई माँग नहीं है।” लड़के के पिता चौधरी रामकरन को आश्चर्य करते हुए बोले।

“यह आपका बड़प्पन है भाई साहब” चौधरी रामकरन ने गदगद स्वर में कहा।

सरला के चेहरे पर खुशी की आभा झलकने लगी। उसने शर्माकर अपनी नजरें नीचे झुका लीं।

तभी लड़के की माँ स्नेह भरे स्वर में सरला से



बोली-बेटी जरा रामायण की चौपाइयां तो पढ़कर सुनाओ।

सरला ने गर्दन और नीचे झुका ली। उसके चेहरे पर लाचारी के भाव झलकने लगे।

हां-हां सुना दो बेटी, शर्मने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने ही लोग है। लड़के के पिता ने सरला का साहस बढ़ाते हुए कहा।

सरला ने गर्दन और नीचे झुका ली। लड़के की माँ ने चौधराइन की तरफ देखा। बात यह है बहिन जी, सरला को पढ़ना नहीं आता है। सरला की माँ बोली।

'क्या?' सभी आश्चर्य से सरला की ओर देखने लगे।

“तो क्या यह बिल्कुल अनपढ़ है?” लड़के की माँ ने निराश स्वर में पूछा।

चौधरी रामकरन क्षण भर के लिए बगले झाँकने लगे, फिर वे बात को संभालते हुए बोले- “बात यह है भाईसाहब, हम लोगों में लड़की का बाहर निकलना या पढ़ना-लिखना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हमने इसे स्कूल नहीं भेजा।”

“यह सब बातें पुरानी हो गई हैं। अब जमाना बदल रहा है, चौधरी रामकरन हमारा लड़का पढ़ा-लिखा है, अच्छे पद पर है। अच्छे और पढ़े-लिखे लोगों से उसका मेल-जोल है। हम उसका विवाह एक अनपढ़ लड़की से नहीं कर सकते हैं।”

चौधरी रामकरन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे घिघियाते हुए बोले- “ऐसा न कहिए भाई साहब, हम आपको मुँह मांगा दहेज देने को तैयार हैं।”

“हम मजबूर हैं चौधरी साहब। दहेज के लालच में मैं अपने बेटे को एक अनपढ़ के पल्ले बांधकर उसका गृहस्थ जीवन चौपट नहीं कर सकता हूँ।”

“चलो बेटा चलो।” वे लोग उठकर चल दिए। चौधरी के घर वाले हारे हुए जुआरी की भांति वहीं बैठे हैं। ऐसा लग रहा है, जैसे सबको लकवा मार गया हो।

वही बैठक है, वही सोफा है। वे ही पकवान है, पर अब सारा माहौल बदला-बदला सा नजर आ रहा है। किसी को अब किसी बात में रस नहीं आ रहा है। सब

थके हुए से बैठे हैं।

चौधरी रामकरन बोले- “मैं तो बहुत पछता रहा हूँ सरला को न पढ़ा करा। अब मुझे अपनी भूल का अहसास हो रहा है। शादी के लिए जहाँ बात करने जाओ, वही लोग पूछते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी है? मास्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ? अब पछताने के सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है किसी ऐसे-वैसे घर में ही बेटी को ब्याहना होगा।”

“दिल छोटा मत करो चौधरी साहब। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए गाँव-गाँव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले हैं। मेरी लड़की उसमें अनुदेशिका बन गई है। पहली अप्रैल से उसका केन्द्र शुरू हो रहा है। तुम सरला को दोपहर में दो घंटे के लिए उसके पास भेज दिया करो। अगले बैसाख तक वह काम लायक पढ़ना-लिखना सीख जायेगी। तब उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आयेगी।” मास्टर रेवती रमण, चौधरी रामकरन को समझाते हुए बोले।

“मगर सरला अकेली तुम्हारे घर कैसे जाया करेगी?” चौधरी रामकरन ने शंका प्रकट की।

“देखो जी, अगर-मगर कुछ नहीं सरला जरूर पढ़ने जाएगी। उसकी दो-तीन सहेलियां भी पढ़ने जा रही हैं,” सरला की माँ बोली।

“तब ठीक रहेगा। जब हमारी सरला पढ़ जाएगी तब फिर आज की तरह मेरी बेइज्जती नहीं होगी। चौधरी रामकरन मुँह ऐंठते हुए बोले। सभी के चेहरे पर आशा की एक नई चमक आ गई।”

एक साल में कठिन परिश्रम करके सरला ने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर अच्छी तरह पढ़ना-लिखना सीख लिया। चौधरी रामकरन ने फिर उसी लड़के के लिए प्रयास किया। उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। सरला सुन्दर तो थी ही पढ़ने से उसकी सुन्दरता में चार-चाँद लग गये। अब लड़के के परिवार वालों ने खुशी-खुशी सरला को स्वीकार कर लिया।

सुरेश बाबू मिश्रा

ए-979, राजेन्द्र नगर, बरेली-243122(उ०प्र०)

मोबाइल नं.9411422735

सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करता है और दूसरों के भाव एवं विचार को गृहण करता तथा समझता है। भारत वर्ष में 1000 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं। देश को एक सूत्र में पिरोने में इन भाषाओं का अहम योगदान है।

स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं का ध्यान देश की सभी प्रमुख भाषाओं के विकास की ओर गया। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा बनाने का कार्य स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही प्रारंभ हो गया था। उस समय स्वाधीनता और हिंदी एक दूसरे के पूरक बन गए थे। हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना और अभिव्यक्ति का माध्यम थी। राजभाषा के प्रश्न पत्र चर्चा के समय संविधान सभा में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया। राजभाषा हिंदी ने देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में सशक्त भूमिका निभाई है।

संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। इस अनुच्छेद में दिए गए निर्देश से स्पष्ट है कि हमारे संविधान के निर्माता ऐसी हिंदी चाहते थे जिसमें देश की सभी भाषाओं के शब्द शामिल हों।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिंदी के विकास एवं समृद्धि की

अनेक योजनाएँ आरंभ कीं। इन योजनाओं में हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्यक्रम भी शामिल किया गया। शब्दावली के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की ताकि शब्दावली निर्माण का कार्य सही एवं व्यापक रूप से हो सके। आयोग ने अंग्रेजी के प्रशासनिक और तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों के हिंदी पर्याय तैयार किए। ये पर्याय अधिकांशतः संस्कृतनिष्ठ हैं और मानक को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

सरकार की राजभाषा नीति में हिंदी एवं अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी प्रयोग को अहम स्थान मिला हुआ है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा 3 में ऐसे कागज पत्रों का उल्लेख है जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार और जारी किया जाना आवश्यक है। इसके चलते कागज पत्रों के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का चलन प्रारंभ हुआ। स्थिति यह है कि अधिकांश कागज पत्रों को अंग्रेजी में पहले तैयार किया जाता है फिर उनका अनुवाद किया जाता है।

अनुवाद करते समय अनुवादक मानकीकृत पर्यायों का प्रयोग करते हैं। यही नहीं वे अनुवाद करते समय शब्द के स्थान पर शब्द और वाक्य के स्थान पर वाक्य का अनुवाद कर देते हैं। अनुवाद की भाषा सरल और सहज होने की बजाय जटिल और बोझिल बन जाती है। इस अनुवाद में हिंदी की स्वाभाविक वाक्य रचना न होकर अंग्रेजी की वाक्य रचना की नकल होती है जिससे वाक्य अटपटे और असंगत लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से अलग हो गई है। आम जनता इस बनावटी प्रशासनिक हिंदी से भलीभांति परिचित नहीं है। यही कारण है कि आम लोगों और कई बार सरकारी कर्मचारियों को भी प्रशासनिक हिंदी अपरिचित और कठिन मालूम होती है।

अनेक महत्वपूर्ण मंचों और शीर्ष स्तर की बैठकों में



भी सरकारी कामकाज में बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है और हिंदी भाषा के सरल रूप को अपनाने की सलाह दी जाती है। समय की मांग है कि भाषा को सुबोध और सुगम बनाया जाए। कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी सरल तथा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। कठिन और कम सुने जाने वाले शब्दों के इस्तेमाल से राजभाषा हिंदी को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है। भाषा के दो रूप होते हैं अर्थात् साहित्यिक और कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा में साहित्यिक भाषा के शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है और उसके प्रति मानसिक विरोध बढ़ता है।

बदलाव भाषा की सहज प्रवृत्ति है। जो भाषा बदलती नहीं है वह खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम अंग्रेजी को ले सकते हैं जिसने भारी बदलाव देखे हैं। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी की शुरुआत से इंग्लैंड की अनेक बोलियों जिन्हें अब पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है से हुई है। कालांतर में इसमें अनेक भाषाओं के शब्द जुड़ते गए और अंग्रेजी के शब्दकोश का विस्तार होता गया। अभी भी इसमें अनेक भाषाओं के विदेशी शब्दों को अपनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

हमें भी चाहिए कि हम खुले दिल से अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अंगीकार कर प्रयोग करते रहें। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की शैली को बदलने की आवश्यकता है। अच्छे अनुवाद में शब्द के स्थान पर शब्द रखने की अपेक्षा भाव को समझकर वाक्य की संरचना करना जरूरी होता है। अनुवाद करते समय उर्दू अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द भी खुलकर प्रयोग में लाए जाने चाहिए। भाषा का विशुद्ध रूप साहित्य जगत के लिए है और उसका लोकप्रिय और मिश्रित रूप बोलचाल एवं कामकाज के लिए है।

सरल, सहज और बोलचाल की हिंदी समाज के सभी वर्गों द्वारा समझी और व्यवहार में लाई जा सकेगी। कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी कोई अलग तरह की हिंदी नहीं है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही आसानी से समझ सके। कार्यालय की भाषा बोलचाल की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। सरकार की भी यही मंशा है कि कार्यालय में टिप्पणियों तथा पत्राचार में आसानी से

समझ में आने लायक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि हिंदी का शब्द परिचित या कठिन लगे तो उसके साथ कोष्ठक में अंग्रेजी का पर्याय लिख देना चाहिए।

आज तकनीक का युग है। रोज-रोज नई-नई तकनीकें आ रही हैं तकनीक के साथ नए यंत्र और कल पुर्जे विकसित हो रहे हैं। जहाँ तकनीक विकसित होती है या यंत्र और कल पुर्जे बनाए जाते हैं उसी देश में उनका नामकरण भी हो जाता है। ऐसे नामों का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जैसे को तैसा देवनागरी में लिखकर प्रयोग करना चाहिए। सूचना तकनीक से संबंधित तमाम शब्दावली आम बोलचाल में प्रयोग हो रही है। जैसे कि मोबाइल, ईमेल, वीडियो, रिचार्ज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इंटरनेट, नेटवर्क, वाईफाई डाटा कनेक्शन इत्यादि। इन शब्दों के हिंदी अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

पहले भी बहुत सारे विदेशी शब्द हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में आए हैं जैसे. टिकट, सिग्नल, लिफ्ट, स्टेशन, रेल, पेंशन, पुलिस, मेट्रो, ब्यूरो, स्कूल, बटन, बिल, अपील, कंपनी, बोर्ड, अदालत, कानून, मुकदमा, कागज, जमानत, तनख्वाह, तबादला, बंदूक, मोहर आदि। इन्हें इसी रूप में अपनाने से भाषा में प्रभाव बना रहेगा।

कठिन और बोझिल शब्द गढ़कर लिखने की बजाय प्रचलित अंग्रेजी शब्द को देवनागरी में लिखना ज्यादा अच्छा रहता है जैसे कि प्रत्याभूति के स्थान पर गारंटी परिदर्शक के स्थान पर गाइड अनुच्छेद के स्थान पर पैरा मध्याह्न भोजन के स्थान पर लंच व्यंजन सूची की जगह मैन्यू मिसिल के स्थान पर फाइल जैसा प्रयोग अधिक अच्छा रहता है।

भाषा का प्रयोग करते समय सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ज्ञान दिखाना नहीं है अपितु अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है इसलिए सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग ही अच्छा है। इससे कार्य तेजी से होगा और भूल-चूक की संभावना नहीं रहेगी।

राजभाषा अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल

सूचना क्रांति के युग में हिंदी की दशा एवं दिशा

सामान्यतः किसी बात या खबर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या समुदाय के मध्य आदान-प्रदान किया जाना ही सूचना कहलाता है, जिसे चाहे बोलकर संप्रेषित की जाये अथवा लिखकर, किसी एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात् भाषा और सूचना एक दूसरे के पूरक हैं अथवा यूँ कहें कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग करने का अर्थ है शरीर से प्राण को अलग करना। वैसे तो मानव सभ्यता के पदार्पण के साथ ही सूचना युग का आगाज हो गया था किन्तु तब न तो सूचना संप्रेषण अथवा प्राप्ति के कोई सशक्त माध्यम ही रहे होंगे और न ही उसका उतना महत्व तथा न ही कोई सशक्त भाषा रही होगी। किन्तु, जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, भाषा का भी विकास हुआ।

भाषा केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है, अपितु यह हमारे संस्कारों व सभ्यता का ताना-बाना, हमारी साझा संस्कृति, एकता, अखण्डता एवं विकास का प्रतीक भी है। भाषा ही हमें एकरूपता प्रदान कर हमारे भीतर अपनेपन का बीज बोती है। किसी भी देश की पहचान उस देश में बोली जानेवाली भाषा से ही होती है तथा जिसके पास भाषा नहीं वह मूक समान है। चूँकि हिन्दी एक सरल, सुगम एवं सार्वभौमिक भाषा है तथा इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एवं जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसकी लिपि भी वैज्ञानिक है, जिसमें स्वरों एवं व्यंजनों को अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत किया गया है, जोकि इसके वैज्ञानिक होने का सबसे सशक्त प्रमाण है, जबकि दुनिया की अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। साथ ही हिन्दी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। यह हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सबसे सरलतम स्रोत तथा उस विराट सांस्कृतिक चेतना का नाम भी है, जिसमें अनगिनत जातियां, वर्ग, समुदाय, संस्कार, पंथ, धर्म और यहां तक कि पूरा जीवन दर्शन ही विविध रूपों में समाहित है। फादर कामिल बुल्के के अनुसार- "संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, जो सरलता व अभिव्यक्ति की क्षमता के मामले में हिन्दी की बराबरी कर सके।" यही कारण है कि भारत के साथ-साथ तमाम प्रगतिशील देशों ने

अपनी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने तथा उसे सुदूर देशों तक प्रचारित-प्रसारित करने के लिए सर्वशक्तिमान हिन्दी भाषा को ही चुना। संविधान के अनुच्छेद 351 में भी यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाये



तथा उसका विकास करे ताकि वह देश की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

विगत कुछ वर्षों में विज्ञान, खासकर सूचना विज्ञान के क्षेत्र में युगान्तकारी एवं अभूतपूर्व परिवर्तन आये हैं। कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, ई-मेल, ई-ऑफिस, सीपीग्राम, ई-बुक्स एवं संचार संबंधी विभिन्न अन्य ऐप्स आदि के प्रवेश के कारण विश्व में अत्यंत ही तीव्र गति से सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके कारण सूचना युग का पदार्पण हो चुका है। इटली, जापान, अमेरिका एवं फ्रांस जैसे विकासशील देश पहले ही औद्योगिक समाज से सूचना समाज में प्रवेश कर चुके हैं। विगत पचास सालों में मानव सभ्यता ने जितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया है, उनमें से ज्यादातर हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी का ही है, जिसके कारण कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, दूर संचार, समाचार चैनलों, रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सूचना क्रांति के इस दौर में इंटरनेट एक सुपर हाइवे के रूप में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह सरकारी कार्यालय हो, निजी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित किसान योजना हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्य हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र हो आदि सभी में महान परिवर्तन आये हैं, जिसके कारण कोई भी सूचना पल भर में ही या यों कहें कि आज हम एक क्लिक मात्र से दुनिया के तमाम काम निपटाने या सूचनाएं आदान-प्रदान

करने में सक्षम हो गये हैं।

निस्संदेह सूचना क्रांति मानव सभ्यता की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण क्रांति है तथा वर्तमान समय में सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति है तथा इसपर जिसका नियंत्रण है वही आज शक्तिशाली है। इस सूचना क्रांति की शुरुआत भले ही संसार के विकासशील देशों से प्रारंभ हुई हो, भारत के सहयोग के बिना वह प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकती थी। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गूगल, एरिक स्मिट ने कुछ वर्ष पूर्व ही यह कहकर जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी कि आनेवाले वर्षों में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चमकीला इंटरनेट बाजार बन जायेगा तथा इस पर अंग्रेजी के अतिरिक्त जिस भाषा का वर्चस्व होगा उसमें हिन्दी ही प्रमुख रूप से होगी। इस बात से उन लोगों की आंखें अवश्य खुल गयी होंगी, जिनका यह मानना था कि कम्प्यूटर का बुनियादी आधार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही है। वर्तमान परिवेश में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई भी तकनीक उपभोक्ता के लिए होती है, उपभोक्ता तकनीक के लिए नहीं तथा कोई भी तकनीक या उत्पाद तभी कामयाब हो सकता है, जब वह उपभोक्ता की भाषा में बात करे या उसे उसके अनुरूप ढाल ले तथा भारत के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूचना तकनीकी का इस्तेमाल तथा अपने उत्पाद को भारतीय बाजार में खपाने के लिए दुनिया के अन्य देशों को यहां की मातृभाषा हिन्दी के अनुरूप ढलना ही होगा। वजह बहुत साफ है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल तथा पढ़े लिखे व समझदार तथा हिन्दी भाषा के जानकारों व उसे अहमियत देनेवालों की संख्या करोड़ों में है तथा यदि इन करोड़ों लोगों के बीच अपने उत्पाद या तकनीक को खपाना है तो उन्हें भारतीयता व भारतीय भाषा के अनुरूप ढलना ही होगा। इसे ही तकनीकी भाषा में 'लोकलाइजेशन' कहते हैं। इस मामले में 'जैसा देश वैसा भेष' वाली कहावत सूचना तकनीक के साथ शत-प्रतिशत चरितार्थ होती है। जिसके कारण विगत वर्षों में जो कम्पनियां हिन्दी इंटरनेट के क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं, अचानक हिन्दी बाजार में कूद पड़ी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने अपने दम पर एक ऐसा बाजार तैयार कर लिया है जिसमें हिन्दी के माध्यम से कोई भी परियोजना, तकनीकी या उत्पाद लाना उनके लिए

फायदे का सौदा है। एक वजह यह भी है कि जहां पहले किसी देश की प्रगति वहां की खनिज सम्पदा, मजबूत अर्थव्यवस्था, उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर आंकी जाती थी, वहीं आज भाषा के आधार पर आंकी जा रही है। अर्थात् इस बदले हुए परिवेश में जिस देश की भाषा जितनी सशक्त, समृद्धि, व्यापक एवं सर्वग्राही है वह देश उतना ही समृद्ध, शक्तिशाली, सम्पन्न व प्रगतिशील है।

आज भारत पूरी दुनिया के लिए वाणिज्य एवं व्यवसाय का केन्द्र बन गया है तथा हिन्दी इस बदले हुए परिवेश में उनकी जरूरत बन चुकी है। ऐसे में यदि उन्हें यहां व्यवसाय बढ़ाना है तथा अपने उत्पाद को यहां के बाजारों में फैलाना है तो उन्हें हिन्दी भाषा को जानना, समझना व सीखना ही होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापनों में हिन्दी का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व के लगभग 140 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है तथा बड़ी तत्परता व लगन से विदेशी लोग भी हिन्दी सीख रहे हैं। चूंकि आज हिन्दी का वर्चस्व चारों ओर कायम है ऐसे में साफ्टवेयर क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कम्पनियां नये बाजार की तलाश में भारत का रुख कर रही हैं तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी फॉन्ट का इस्तेमाल करके हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को आत्मसात कर न सिर्फ अपना व्यवसाय कर रही हैं बल्कि हमारी हिंदी को भी मजबूत व लोकप्रिय कर रही हैं। अब जब चूंकि हिन्दी में इंटरनेट पर आधारित योजनाएं लाना फायदे का सौदा हो गया है इसलिए याहू, गूगल, फेसबुक, मोजिला, ओपेरा एवं इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर भी हिन्दी का खुले दिल से समर्थन एवं प्रयोग करने में लगे हैं। इस सूचना क्रांति के कारण कम्प्यूटर एवं लैपटॉप एवं मोबाइल फोन में हिन्दी के की बोर्ड ऐक्टिव करना सरल बना दिया है। तकनीक के कारण हिंदी फॉन्ट कनवर्टर, हिन्दी स्पेलिंग चेक, मनचाही भाषा में अनुवाद, हिन्दी में वाॅयस टाइपिंग, अहिंदी भाषियों के लिए अंग्रेजी में टंकित शब्दों का हिन्दी अनुवाद एवं बोलकर हिन्दी में टंकण कार्य बड़ी ही सरलता से किया जा रहा है। साथ ही साथ यूनिकोड एनकोडिंग के माध्यम से हिन्दी में काम करना बहुत ही सरल हो गया है। इस प्रकार से तकनीक का इस्तेमाल करके वर्तमान दौर में कम्प्यूटर व मोबाइल पर

हिन्दी का बड़ी ही सरलता से प्रयोग किया जा रहा है।

जब सारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था तथा उसपर विजय पाने के लिए निरन्तर युद्ध स्तर पर प्रयासरत था, ऐसे में सूचना तकनीक प्रणाली की जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी थी तथा यह हमारे लिए एक वरदान से कम साबित नहीं हो रही थी, जिसके कारण आज प्रशासनिक एवं निजी कार्यालयों में 'ई-आफिस', 'वर्क फ्राम होम' तथा अन्य सोशल ऐप्स के माध्यम से सुगमतापूर्वक शासकीय कार्यों तथा विद्यालयों में ऑन लाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई-लिखायी सुचारू रूप से करवायी जा रही है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं योग परिचर्चाओं के माध्यम से आम जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए समुचित निर्देश देश की आम जनता के बीच उनकी लोकप्रिय भाषा हिन्दी में बड़ी ही सुगमता एवं सरलता से फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है, जोकि सूचना तकनीकी के अभाव में किसी भी प्रकार से संभव नहीं था।

यह अजीब विडम्बना ही है कि हिन्दी की सरलता, सुगमता, बोधगम्यता एवं वैज्ञानिकता की परख पाकर तथा इसके माध्यम से तकनीकी प्रचार-प्रसार, वाणिज्य एवं व्यवसाय की अपार संभावनाओं को देखते हुए एक तरफ दुनिया के सारे देश हमारी मातृभाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा को दिल से आत्मसात कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में खुद अपनी मातृभाषा हिन्दी को अनपढ़, गंवार, पिछड़े, दलित, शोषित एवं जाहिलों की भाषा मानकर उसका तिरस्कार किया जाता है तथा हिन्दी पढ़ने पढ़ाने वाले को घृणा व हिकारत की नजरों से देखा जाता है एवं हिन्दी बोलने, व लिखने-पढ़ने को तौहीनी तथा अंग्रेजी बोलना अपनी शान समझा जाता है। इसी कारण से आम लोगों द्वारा अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से अंग्रेजी भाषा की तोता रटत शिक्षा नर्सरी कक्षा से ही प्रारंभ करवा दी जाती है लेकिन हिंदी भाषी प्रदेश होने के कारण अंग्रेजी का उचित परिवेश न मिलने की वजह से हमारे बच्चे भाषा के क्षेत्र में प्रायः अधकचरे ज्ञान वाले ही रह जाते हैं। यही वजह है कि हमारे देश के डिग्रीधारकों को भी हिन्दी वर्णमाला व हिन्दी में गणना करनी तक नहीं आती। आज हमारे बच्चे

हिन्दी की शब्दावली से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं उन्हें 'फाइव', 'नाईन', 'इलेवन' एवं 'एप्पल' तो पता होता है लेकिन 'पांच' 'नौ' 'ग्यारह' तथा सेब का ज्ञान नहीं है। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसकी तकनीकी शब्दावली क्लिष्ट, बोझिल एवं समझ से परे है जिसका अर्थ समझना कठिन है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ शब्दों के चलन में कम आने के कारण ही वह बोझिल एवं कठिन प्रतीत होते हैं। इसलिए उन तकनीकी शब्दों का हिन्दी पर्याय मालूम न होने पर उसकी अंग्रेजी शब्दावली को ही देवनागरी लिपि हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। जैसे- गारंटी, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, सेनेटाइजर, मास्क, क्वारंटीन, प्लेटफार्म, इंटरनेट, साइबर, मॉडम, स्लीपर आदि। इस प्रकार से सूचना तकनीकी के इस युग में अंग्रेजी के लाखों शब्द आज हिन्दी में ज्यों के त्यों रच-बस गये हैं। बावजूद इसके इस संचार क्रांति के युग में शासन स्तर पर भी अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में योग्य व अनुभवी लेखकों का अभाव है, अभाव है तो सिर्फ आमजन एवं शासन स्तर पर इच्छाशक्ति का, यदि ऐसा नहीं है तो सरकार व्यावहारिक स्तर पर 'एक राष्ट्र-एक शिक्षा व एक भाषा' घोषित क्यों नहीं करती। वास्तव में यदि देखा जाये तो हिंदी भारतीय जनमानस के खून में प्रवाहित हो रही है तथा इसी भाषा में देश की करोड़ों जनता चिन्तन करती है, अपने विचार व्यक्त करती है तथा अपनी संस्कृति के गीत गाती है तथा इसके समर्थवान रहने से देश की शक्ति में इजाफा होता है। यह हमारे देश की आत्मा है जिसने भारतवासियों को वैचारिक रूप से प्राणवान किया है तथा वास्तव में हिन्दी ही हिन्दुस्तान का वास्तविक चित्र खींचने में सक्षम है। इसलिए संचार क्रांति के इस आधुनिक युग में जब हिन्दी हर प्रकार से रच-बस गयी है तथा बहुसंख्यक जनता की सर्वप्रिय, सार्वभौमिक एवं प्रतिष्ठित भाषा है, यह आवश्यक हो गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह अध्ययन-अध्यापन, कृषि एवं पशुपालन, चिकित्सा, व्यापार एवं वाणिज्य आदि का क्षेत्र हो, सबमें हिन्दी के माध्यम से ही कार्य का निष्पादन किये जाने की नितान्त आवश्यकता है तथा इस संचार क्रांति के युग में यह अत्यंत ही उचित, जायज एवं न्यायोचित भी है।

वास्तव में 14 सितम्बर 1949 को राजभाषा का

दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिंदी की समृद्धि का जो प्रण लिया गया था, उसे बिसरा दिया गया, जबकि इसके उत्थान के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनेकों नियम यथा-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधानों का समावेश किया गया है। राजभाषा अधिनियम-1963, राजभाषा नियम 1976, संसदीय राजभाषा समिति, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी समिति, राजभाषा संकल्प-1968, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन हेतु हिंदी सलाहकार समितियों का गठन, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, क्षेत्रीय एवं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति आदि का गठन तो कर दिया गया किन्तु सरकारी उदासीनता व कमजोर इच्छाशक्ति के कारण इसे हमेशा से ही हतोत्साहित किया जाता रहा है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर से प्रारंभ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर आज तक कई सम्मेलन हो चुके हैं किन्तु वह भी केवल रस्म अदायगी मात्र भर ही है। हिंदी के विश्वभाषा बनने की राह में सबसे अधिक बाधा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार से हम अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करते हुए खुद को अपमानित, अनपढ़-गंवार समझने का भ्रम पाल रहे हैं। अर्थात् “दीपक तले अंधेरा” या “घर की मुर्गी दाल बराबर” वाली कहावत को खुद ही चरितार्थ कर रहे हैं, जो इस संचार क्रांति के युग में हमारे लिए बड़े ही शर्म और क्षोभ की बात है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने की वकालत तो की जाती है परन्तु देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका की भाषा भी हिंदी हो, इस पर मौन धारण कर लिया जाता है। यही कारण है कि आज भी न्यायपालिका के साथ-साथ चिकित्सा विज्ञान, अभियांत्रिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, पर्यावरण, भौतिकी विज्ञान, पशुपालन व कृषि आदि से संबंधित क्षेत्रों में सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही राज कर रही है। ऐसे में देश के सम्मानित हस्ती यथा अमिताभ बच्चन जैसे लोग साधुवाद के पात्र अवश्य हैं जिन्होंने अपने टी.वी. कार्यक्रमों यथा- 'कौन बनेगा करोड़पति' के माध्यम से

विशुद्ध हिंदी का प्रयोग कर अपने देश व हिंदी भाषा का मान बढ़ाने का कार्य किया है तथा आम जनमानस में इस संदेश का संचार किया कि हिंदी न सिर्फ हमारी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा है बल्कि यह हमारी एकता व अखंडता की भी भाषा है तथा इसे उचित सम्मान दें। यदि हम सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर वर्ष में एक दिन हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा जैसे उत्सव मनाकर हिंदी बोलने व सीखने पर गर्व महसूस करेंगे तथा इसे श्रद्धा भाव से अपनाने की जगह इसका श्राद्ध करेंगे तो हमारी भाषा हिंदी सदैव ही उपेक्षित व अपमानित होती रहेगी।

अतः आज वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह संचार क्रांति के इस आधुनिक युग में प्रगति के सोपान पर चढ़ने के लिए जिस प्रकार से दुनिया के अन्य देश हमारी भाषा हिंदी को आत्मसात कर वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में नित नये आयामों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार सरकार व जनता दोनों ही इस आधुनिक सूचना क्रांति के युग में अपनी मातृभाषा हिंदी के महत्व को समझे और जीवन के हर क्षेत्र में इसका समावेश करे तथा उसे उसका हक दिलाये तथा हिंदी को पूरे मनोयोग, निष्ठा, लगन, तत्परता एवं उत्साह के साथ दिल से आत्मसात करे। संचार क्रांति के इस युग में जहां आज सर्वत्र ही हिंदी का बोलबाला है, हम भारतवासी दिल से यह संकल्प लें कि हम अपने कामकाज एवं दैनिक जीवन में अपनी मातृभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके संविधान के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं आत्मसम्मान का परिचय देंगे तथा औरों को भी इसके अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रेरित करते हुए गर्व, सम्मान एवं स्वाभिमान का अनुभव करेंगे। यदि आज भी हमने इसे दिल से आत्मसात कर लिया तो यह हमारी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रास्ते चलते हुए हमारी हिंदी भाषा “विश्वभाषा” बनकर भारत माता के सिर का 'सिरमौर' तथा दुनिया के माथे की 'बिंदी' बन जायेगी

अमरेश कुमार
गोपनीय सहायक
अपर मंडल रेल प्रबन्धक
(परिचालन), इज्जतनगर

निरंकार देव सेवक हिंदी बाल साहित्य के आधार स्तंभ

बाल साहित्य लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। बाल साहित्य का उद्देश्य बाल पाठकों का मनोरंजन कराना ही नहीं बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराना और शिक्षा प्रदान करना भी रहता है। सेवक जी का उद्देश्य बाल कविता को लेकर थोड़ा अलग था, मनोरंजन को प्राथमिकता में रखते थे, बच्चे कविता में आनन्द ले, गुनगुनाए।

सरल भाषा में सपाट कविता, परन्तु जब कोई कविता को बार-बार गुनगुनाए तो एक मजबूत सन्देश बच्चे के मस्तिष्क पर अनायास ही अपना प्रभाव छोड़ जाए। सेवक जी कहते थे कि कविता का काम बच्चे को उपदेश देना नहीं बल्कि बच्चे के मन को आनन्दित करना है।

आज के बालक कल के नागरिक हैं। बच्चे जैसा सीखेंगे, पढ़ेंगे उसी के अनुरूप उनका विकास होगा, आदतों का निर्माण होगा। बाल साहित्य का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसमें चाहे कविताएं हो या कहानियां। इसीलिए यह माना जाता है कि बाल साहित्यकार को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए जो बच्चों को समझता हो और उनके मानस पटल पर उतर कर बाल साहित्य का सृजन कर सके। सेवक जी इसकी महत्ता अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रथम कृति का प्रथम अध्याय “बाल स्वभाव” रखा। उन्होंने अपनी पहली रचना 1966 में बाल गीत साहित्य ग्रंथ के रूप में की। वे बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखने में विश्वास करते थे। यही बात उनकी बाल कविताओं में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

बड़ों की कविताएं बच्चों की कविताओं से कैसे अलग है इसका विवेचन बड़ों की कविता और बाल गीत में सेवक जी द्वारा स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है। सेवक जी का महत्वपूर्ण चिंतन है स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। सेवक जी कहते हैं कि बड़ों के गीत और बाल गीतों में बड़ा अंतर होता है। बच्चों की कविता की प्रेरणा कवि को अपनी अनुभूतियों से मिलती है जो कवि को मन में उठने वाली भावनाओं का तूफान उसे गीतों में व्यक्त करने के लिए विवश कर देता है।

निरंकार देव सेवक जी का जन्म बरेली में 18 जनवरी 1919 में हुआ। उन्होंने अनेक बाल गीत लिखे एवं हिंदी बाल गीतों का इतिहास एवं समीक्षा पर भी कार्य

किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में अगर-मगर, धूप-छाया, बीन बजाती बिल्ली रानी, चिड़िया रानी, टेसू के गीत, पप्पू के बाल गीत तथा दूध जलेबी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी एक रचना जो अनायास ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश देती है-



रानी बिटिया चली घूमने,
दिल्ली से आगे बढ़ी
चलते-चलते, चलते चलते,
पहुंच गई चंडीगढ़।
चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची,
जयपुर से रामेश्वर।
रामेश्वर से चलते चलते,
लौट चली आई घर।
मां ने पूछा- 'रानी बिटिया'
कहां गई थी बाहर?
बिटिया बोली कहीं नहीं मां,
मैं थी घर के अंदर।
घर के अंदर रानी बिटिया,
ऐसा झूठ सरासर?
झूठ नहीं मां सच कहती हूँ,
भारत है मेरा घर।।

निरंकार देव सेवक जी की अनेक कविताओं को भारत के अनेक प्रदेशों के एवं राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यह संपूर्ण भारत उत्तर प्रदेश एवं विशेष रूप से बरेली को गौरव प्रदान करती है। सेवक जी हम सभी को 29 अक्टूबर 1994 को छोड़कर इस दुनिया से चले गए और अपनी अमिट रचनाओं के माध्यम से अमर हो गए।

संजीव कुमार
वरिष्ठ अनुवादक
पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर

विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का वैकल्पिक माध्यम

-ग्रुप 'सी' के पदों के बीच तथा ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' के पदों पर पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में और ग्रुप 'बी' के रिक्त पद को भरने के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिनमें तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी परीक्षाएं शामिल हैं, राजभाषा नीति एवम नियमों से सम्बंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं। इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की व्यावसायिक योग्यता की जांच के लिए निर्धारित कुल अंकों में से 10% अंक राजभाषा नीति एवम् राजभाषा नियमों से सम्बंधित प्रश्नों के लिए निर्धारित कर दिए जाएं। राजभाषा नीति एवं नियमों से सम्बंधित सभी प्रश्न मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा अथवा उनके परामर्श से तैयार किए जाएं।

-चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में साधारणतया अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान परखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ही पर्याप्त समझा जाए।

रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता

1. इस प्रतियोगिता में सभी राजपत्रित अधिकारी / अराजपत्रित कर्मचारी भाग ले सकते हैं।
2. निबंध 'रेल कार्य संचलन एवं प्रबंधन' से सम्बंधित किसी विषय पर होना चाहिए और 5000 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
3. निबंध प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में कार्मिकों से आमंत्रित किया जाता है। इसमें वे रेल कर्मी भाग ले सकते हैं जिनकी सेवा 03 महीने पूरी हो चुकी हो। प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी तक हिंदी निबंध भेजे जाएं।
4. इसमें राजपत्रित के लिए 02 पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र और अराजपत्रित के लिए 02 पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाते हैं-

	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
राजपत्रित अधिकारी	6000/-एवं प्रमाण पत्र	4000/-एवं प्रमाण पत्र
अराजपत्रित कर्मचारी	6000/-एवं प्रमाण पत्र	4000/-एवं प्रमाण पत्र

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के
गौरव का अनुभव नहीं है,
वह उन्नत नहीं हो सकता।

— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की
उन्नति के लिए आवश्यक है।

— महात्मा गांधी

राजभाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां

1. 9 दिसंबर, 1946- संविधान सभा की पहली बैठक।
2. 14 सितंबर, 1949- संविधान सभा द्वारा राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का अनुमोदन
3. 26 नवंबर, 1949- भारत की संविधान सभा ने स्वाधीन भारत के लिए नए संविधान को अंगीकृत एवं स्वीकृत किया।
4. 26 जनवरी, 1950- भारत का संविधान लागू हुआ।
5. 7 जून, 1955- राजभाषा का पहला आयोग का गठन डॉ. बी.जी. खेर की अध्यक्षता में किया गया।
6. 15 जुलाई, 1955- डॉ. बी.जी. खेर की अध्यक्षता में पहली बैठक संपन्न हुई।
7. जुलाई, 1956- राष्ट्रपति के समक्ष राजभाषा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
8. 27 अप्रैल, 1960- राष्ट्रपति के आदेश से कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया।
9. दिसंबर, 1960- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया।
10. 26 जनवरी, 1965- हिंदी में कामकाज करने की कार्ययोजना तैयार की गई।
11. 1974- रेल मंत्री ने रेलों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का आदेश पारित किया।
12. दिसंबर, 1967- संसद के दोनों सदनों में राजभाषा नीति के संबंध में एक संकल्प पारित किया गया जिसे 'राजभाषा संकल्प' के नाम से जाना जाता है।
13. 18 जनवरी, 1968- राजभाषा संकल्प को लागू किया गया।
14. 26 जून, 1975- भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से राजभाषा की स्थापना की गई।

आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची

में आरम्भ में 14 भाषाएँ असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थीं। बाद में सिंधी को तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया जिससे इसकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ हो गईं- असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली

राजभाषा नियम, 1976

उद्देश्य : केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग एवं प्रसार सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (IV) के साथ पठित धारा 8 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा नियम, 1976 बनाया गया है। इसमें कुल 12 नियम हैं।

नियम 1 : (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम, 1976 है।

(ii) यह नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है।

(iii) यह नियम राजपत्र में प्रकाशित तारीख से लागू है।

नियम 2 : इस नियम में 'अधिनियम', केंद्रीय सरकार के कार्यालय, कर्मचारी, अधिसूचित कार्यालय, हिंदी में प्रवीणता, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान, क्षेत्र 'क', 'ख' एवं क्षेत्र 'ग' की परिभाषा दी गई है।

नियम 3 : 'क', 'ख' एवं 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार की प्रक्रिया दी गई है।

नियम 4 : राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के

कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार की प्रक्रिया दी गई है।

नियम 5 : किसी भी कार्यालय से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

नियम 6 : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित 14 सरकारी कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किया जाएगा और इसका उत्तरदायित्व कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा।

नियम 7 : किसी कर्मचारी द्वारा आवेदन, अभ्यावेदन आदि हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में दिया जा सकता है। आवेदन, अभ्यावेदन या अपील पर हिंदी में हस्ताक्षर हों तो, उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामले कागजात कर्मचारी द्वारा वांछित भाषा हिंदी या अंग्रेजी में बिना विलंब दिए जाएंगे।

नियम 8 : (i) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियां हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखी जाएंगी।

(ii) में हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी केवल विधिक या तकनीकी प्रकृति के कागजातों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मांग सकता है।

(iii) कोई कागजात विधिक या तकनीकी प्रकृति का है इसका भी विनिश्चय कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

(iv) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा प्रारूप/टिप्पणी हिंदी भाषा में लिखी जाएगी।

नियम 9 : में हिंदी में 'प्रवीणता' प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा है।

जो कर्मचारी 'हिंदी माध्यम' से मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा या स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो या निर्धारित प्रारूप पर हिंदी में 'प्रवीण' होने की घोषणा करे उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहा जाएगा।

नियम 10 : (i) में हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी उन कर्मचारियों को कहा गया है, जिन्होंने मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण

की हो या हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 'प्राज्ञ' परीक्षा उत्तीर्ण की हो या जिन्होंने निर्धारित प्रारूप पर हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने की घोषणा की हो।

(ii) यदि किसी कार्यालय के 80 % कर्मचारी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं तो यह समझा जाएगा कि सामान्य रूप में वह कार्यालय हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों वाला है।

10 (ii) 10 (iii) की अवधारणा की पुष्टि के लिए किसी भी अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

10 (ii) 10 (iv) में वर्णित कर्मचारियों वाले कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

नियम 11 : (i) मैनुअल, संहिताएं (कोड) और प्रक्रिया सम्बंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि द्विभाषी रूप में मुद्रित किए जाएंगे।

(ii) पंजिकाओं/रजिस्ट्रों / फार्मों के शीर्ष हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे।

(iii) नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष तथा लेखन सामग्री द्विभाषी मुद्रित या उत्कीर्ण होगी।

नियम 12 : (i) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे और साथ ही साथ उपयुक्त एवं प्रभावशाली जाँच के उपाय करे।

(ii) केन्द्रीय सरकार अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के सम्यक अनुपालन के लिए समय-समय पर अपने कर्मचारियों एवं कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

**मैं दुनिया की सभी भाषाओं
की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में
हिन्दी की इज्जत न हो,
यह मैं सह नहीं सकता**

—आचार्य विनोबा भावे

अमृता प्रीतम - वरिष्ठ पंजाबी साहित्यकार



अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त, 1919 को गुजरांवाला (अविभाजित पंजाब, अब पाकिस्तान) में हुआ था। इनका बचपन लाहौर में बीता और प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने लाहौर से प्राप्त की।

सुश्री अमृता प्रीतम की किशोरावस्था से ही साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्ति थी। इनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। पत्रकारिता में भी इनकी विशेष रुचि थी। इनके संपादन और निजी देखरेख में वर्ष 1966 से 'नागमणि' नामक मासिक पत्र निरंतर कई वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। अमृता प्रीतम को कई संगठनों और संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों/सम्मानों से विभूषित किया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. 'सुनहरे' नामक पुस्तक पर 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार,
2. वर्ष 1958 में पंजाब सरकार का भाषायी पुरस्कार,
3. वर्ष 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि,
4. वर्ष 1980 में बुल्गारिया का वैष्णरोव अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार और,
5. वर्ष 1981 में 'रसीदी टिकट' पुस्तक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार।

कहानी, उपन्यास, कविता, ललित निबंध और आत्मकथा साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण सृजन किया। हिन्दी तथा कई अन्य भारतीय

भाषाओं के अलावा रूसी, जर्मन आदि यूरोपीय भाषाओं में भी इनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। अमृता प्रीतम की हिन्दी में अनूदित प्रमुख पुस्तकें हैं :-

अन्तिम पत्र, लाल मिर्च, एक लड़की एक जाम, ये खिड़कियां हीरे की कनी, पाँच बरस लम्बी सड़क, एक शहर की मौत, तीसरी औरत, यह कहानी नहीं, अक्षरों की साया में इत्यादि (कहानी संग्रह)।

डा. देव, पिंजर, घोंसला, एक सवाल, बुलावा, बन्द दरवाजा, रंग का पत्ता, एक थी अनीता, धरती, सागर और सीपियां, दिल्ली की गलियां, जलावतन जेबकतरे, पक्की हवेली, आग की लकीर, कोई नहीं जानता, यह सच है, एक खाली जगह, तेरहवां सूरज, उन्चास दिन, कोरे-कागज इत्यादि (उपन्यास)।

धूप का टुकड़ा, कागज और कैनवस इत्यादि (कविता संग्रह), सात सवाल तीसरी आंख, सात मुसाफिर इत्यादि (साक्षात्कार)।

अमृता प्रीतम के लेखन की प्रमुख विशेषता है उसका रुमानीपन और यह रुमानीपन स्वयं में एक प्रकार की आध्यात्मिकता तथा दार्शनिकता समेटे हुए है। इनके सम्पूर्ण लेखन के केन्द्र बिन्दु में नारी चरित्र व्यापक रूप से समाए हुए हैं। जैसे एक लड़की एक जाम, तीसरी औरत, एक थी अनीता तथा एक थी सारा आदि। इन सभी रचनाओं में नारी चरित्र का इन्होंने अत्यन्त कुशलतापूर्वक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चित्रण किया है। 'एक थी सारा' नामक पुस्तक में इन्होंने पाकिस्तान की प्रसिद्ध शायरा की जीवनी को आत्म कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है।

सिर्फ इतना ही नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पुस्तक 'रसीदी टिकट' में उन्होंने स्वयं के जीवन का आत्मकथात्मक शैली में मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। तेरहवां सूरज में 12 सूरज का विस्तृत विवेचन करते हुए उन्होंने तेरहवें सूरज को 'ज्ञान के सूरज' की संज्ञा से विभूषित किया है।

अमृता प्रीतम जी के दो प्रमुख संस्मरणों का उल्लेख करना यहां समीचीन होगा। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया था कि स्त्री की असली आजादी कब होगी? उन्होंने उत्तर दिया कि स्त्री की असली आजादी तब आएगी जब कोई व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना उसे छुएगा नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने पर उनसे एक पत्रकार ने पूछा आप इन एक लाख रुपयों का क्या करेंगी? उन्होंने उत्तर दिया कि आज से पहले कभी आपने इस तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा तो फिर आज आप यह क्यों पूछ रहे हैं? अमृता प्रीतम के पंजाबी साहित्य के संबंध में हम उन सभी रचनाकारों, सुधी लेखकों, अनुवादकों, संस्थाओं तथा प्रकाशकों के प्रति आभारी हैं जिनके माध्यम से उनका संपूर्ण पंजाबी साहित्य हमें हिन्दी भाषा में अनूदित होकर प्राप्त हुआ है।

अमृता प्रीतम जी यद्यपि स्थूल शरीर में हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वे हमेशा पंजाबी और हिन्दी साहित्य में अमर रहेंगी।

आःनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः।

- ऋग्वेद

आलोक कुमार

वरिष्ठ अनुवादक

मरेप्र कार्यालय, इज्जतनगर

मो. नं. 9451972988

हिन्दी हमारे राष्ट्र
की अभिव्यक्ति
का सरलतम स्रोत है।
-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

कोई भी देश सच्चे अर्थों में
तब तक स्वतन्त्र नहीं है,
जब तक वह अपनी भाषा
में नहीं बोलता।
- महात्मा गांधी

हिन्दी देश की एकता
की ऐसी कड़ी है,
जिसे मजबूत करना
प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।
- इंदिरा गांधी

भाषा चैतन्य होती है
और उस चेतना की
अनुभूति आवश्यक होती है।
- नरेन्द्र मोदी

अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के अवसर



स्रोत भाषा में किसी पाठ के अर्थ को लक्षित भाषा के पाठ में संप्रेषित करने की क्रिया को अनुवाद के रूप में जाना जाता है। अनुवाद उन व्यवसायों में से एक है

जिसका महत्व आज के तकनीकी दौर में बढ़ा है। भाषा कौशल पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हैं क्योंकि विश्व एक छोटा और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ समुदाय बन गया है। लेखन गतिविधियों के अतिरिक्त पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप में अनुवाद में एक सफल करियर संभव है। एक अनुवादक के रूप में आप जो क्षमताएँ विकसित करते हैं, वह आपके लेखन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती हैं।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द के लिए पाठ का अनुवाद करने से कहीं अधिक है। वास्तव में, इसमें पाठ की आत्मा को एक नए शरीर में स्थानांतरित करना शामिल है। अन्य लेखकों द्वारा निर्मित अनुवाद कार्य का विश्लेषण करना अनुवाद क्षमताओं को विकसित करने की सर्वोत्तम रणनीतियों में से एक है। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी विशेषज्ञ द्वारा किए जाने पर काम कितना

रचनात्मक होगा। इंटरनेट के विकास ने व्यवसायों को अपने घरेलू बाजारों के बाहर विस्तार करने में सहायता प्रदान की है। नतीजतन, अनुवादकों की भारी कमी है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाहरी संचार के लिए संगठन की जरूरतों को पूरा कर सके। इन बाजार की मांगों को पूरी समझ विकसित करके ही पूरा किया जा सकता है, जो केवल तभी किया जा सकता है जब आपके पास एक मजबूत अनुवाद क्षमता हो। अगले कुछ दशकों में, अनुवाद अरबों डॉलर के उद्योग में विकसित होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह संभावना बहुत सारे युवाओं को अनुवाद को एक पेशे के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यदि आप एक फ्रीलांसर के रूप में काम करने का निर्णय लेते हैं, तो आप कई अलग-अलग कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं। कई कंपनियों के साथ अनुबंध करने के लिए सहमत होकर, आप एक निर्धारित राशि के लिए प्रत्येक माह भुगतान प्राप्त करके आय का एक विश्वसनीय स्रोत बना सकते हैं। एक बार जब आप पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कुशल अनुवादकों के लिए

कई विकल्प हैं।

इक्कीसवीं सदी में भाषा क्षेत्र ने समस्याओं और परिवर्तन का सामना किया है। विदेशों में प्रवास कर रहे लोगों और नई भाषाओं को सीखने की उनकी इच्छा ने अनुवाद उद्योग के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। नौकरी में वृद्धि के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता उद्योग अब अनुवाद और दुभाषिया सेवाएं हैं। 21वीं सदी में कई उपयोगी मशीनी अनुवाद ऐप विकसित किए गए हैं। व्यवसाय अपनी सीमाओं के कारण मानव अनुवादकों का उपयोग करना पसंद करते हैं। परिणामस्वरूप योग्य अनुवादकों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप अनुवाद उद्योग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है।

इस नए युग में हर उद्योग के पास मौके हैं। कम लागत और उच्च गुणवत्ता हासिल करने के साथ उत्पादों के निर्माण में सुधार हुआ है। इसी तरह, अनुवादकों को दुनिया भर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, खासकर कम लागत वाले देशों से। वैश्वीकरण के कारण, भाषा अवरोध अब मौजूद नहीं हैं। नतीजतन, विभिन्न देशों के लोगों के बीच अधिक बातचीत हुई है। इस विविध सांस्कृतिक जुड़ाव के परिणामस्वरूप अतिरिक्त अनुवादकों और दुभाषियों की आवश्यकता बढ़ गई है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया भर में बातचीत का विस्तार हुआ है। इसके द्वारा कुछ

भाषाओं के शब्दकोष को बदल दिया गया है। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं ने ऐसे शब्दों का योगदान दिया है जिन्हें अपनाया गया है।

किसी भाषा का "विदेशीकरण" करने की प्रक्रिया ने अनुवाद एजेंसियों के लिए चीजों को थोड़ा आसान बना दिया है। चूंकि अब कोई राष्ट्रीय सीमाएँ नहीं हैं, इसलिए अधिक काम है। भारतीय व्यवसायों से अनुवाद सेवाओं को किराए पर लेने के लिए दूसरे देशों के लोग यहां आते हैं। इससे भारतीय उद्यमों के लिए काम की मात्रा में वृद्धि हुई है।

यदि आप स्कूल में रहते हुए भी अनुवादक बनना चाहते हैं तो जल्दी शुरुआत करें। जब आप अभी भी स्कूल में हैं, तो तय करें कि आप कौन सी भाषा (भाषाएँ) सीखने में रुचि रखते हैं। चीनी, जापानी, कोरियन, जर्मन और फ्रेंच कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जहाँ अभी भी बोलने वालों की कमी है। आप जिस भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं उसे चुनने के बाद देखें कि क्या आपके शहर में कोई स्कूल है जो इसमें कक्षाएं प्रदान करता है। आज के समय लगभग हर बड़े शहरों में कई संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सिखाने और पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट पर अपने शहर में इन संस्थानों को खोजना उपयोगी हो सकता है।

अनुवादक बनने के लिए सबसे पहले आवश्यक यह है कि आपको दूसरी भाषा सीखनी

चाहिए। मान लें कि आप लक्ष्य भाषा में दैनिक साहित्य पढ़ने में पहले से ही निपुण हैं। अनुवाद में डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स किया है। कुछ लोग अपना बहुत सारा समय अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद करने में लगाते हैं। दूसरे बहुभाषावाद और अपनी मातृभाषा में अनुवाद पर अधिक जोर देते हैं। साहित्यिक कार्यों के अनुवादक आमतौर पर सिर्फ एक भाषा की पेचीदगियों में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। व्यावसायिक ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए बहुभाषावाद का होना आवश्यक हो सकता है। हालाँकि, कक्षाएं लेना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास धैर्य और प्रेरणा है, तो आप स्वयं अनुवाद करके सीख सकते हैं। आपको किसी अन्य प्रकार के लेखन की तरह ही अपना बायोडाटा विकसित करना चाहिए, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है मामूली शुरुआत करना। आप पहले तो अपनी मूल भाषा में अनुवाद करना शुरू करें।

शुरुआत के समय में आसान-से-अनुवाद विषयों से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। सरल टेक्स्ट से शुरू करने से आपको आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी, जो अधिक जटिल, समझने में मुश्किल साहित्य को पढ़ने के लिए उपयोगी होगा। विभिन्न पाठ प्रकारों पर काम करके करियर प्रोफाइल विकसित करने का प्रयास करें। एक बार जब आप

आत्मविश्वास के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप विभिन्न एजेंसियों में कार्य देख सकते हैं। इन संगठनों के लिए काम करना आपको एक योग्य अनुवादक के रूप में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर प्रदान करेगा।

आप एक स्वतंत्र अनुवादक के रूप में, किसी एजेंसी के माध्यम से, या केवल एक ग्राहक के लिए काम कर सकते हैं। आपके द्वारा काम करने वाली भाषाओं के आधार पर अयोग्य अनुवादकों पर विचार करने वाली एजेंसियों की संख्या बहुत भिन्न होती है। उन लोगों के लिए जो घर से काम करना पसंद करते हैं या जो आला, कठिन-से-ढूंढने वाले विषयों पर काम करने में रुचि रखते हैं, स्वतंत्र रोजगार संतुष्टिदायक हो सकता है, लेकिन निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई कंपनियों के पास ऐसे अनुबंध हो सकते हैं जिनमें फ्रीलांसरों को प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह एक निश्चित मात्रा में काम करने की आवश्यकता होती है। कार्यालय में अनुवाद करने में आम तौर पर एक ग्राहक के साथ काम करना शामिल होता है। यह एक विदेशी समाचार-केंद्रित समाचार पत्र या अंतर्राष्ट्रीय निगम के साथ पूर्णकालिक स्थिति या अंशकालिक घंटे हो सकता है।

व्यवसायों के बढ़ते वैश्वीकरण के लिए वर्तमान में अनुवाद का क्षेत्र काफी सक्रिय है। व्यापार और पर्यटन आदि के कारण अंतरराष्ट्रीय

यात्रा में काफी वृद्धि हुई है। किसी राष्ट्र की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी समय मूल भाषा को धाराप्रवाह नहीं बोलता है। स्वाभाविक रूप से, यह अनुवाद क्षेत्र के लिए उत्साहजनक है। कई अलग-अलग अनुवाद हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है, और प्रत्येक की अपनी आवश्यकताएं और प्रक्रिया होती है। यदि आपका संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करता है, तो ऐसे अनुभवी विशेषज्ञ या अनुवाद सेवा प्रदाता के साथ सहयोग करना लाभप्रद होगा जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ सके और उन्हें संतुष्ट कर सके।

वर्तमान में सॉफ्टवेयर आधारित अनुवाद भी प्रचलन में है। हालाँकि, इसके परिष्कार के बावजूद, कोई भी अनुवाद सॉफ्टवेयर आपके लिए सटीक कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि यह केवल मदद कर सकता है। सफल अनुवादक बनने के लिए यह आप रिकॉर्ड बनाए रखना और अपनी खुद की शब्दावली बनाने से आपको भविष्य के समय और परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है। भले ही कुछ कंप्यूटर-आधारित शब्दकोश आपको अपने शब्दों को दर्ज करने की अनुमति देते हैं, फिर भी एक सीधी सूची काफी मददगार हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुवाद की जाँच करें और दोबारा जाँचें कि यह दोषरहित है। यदि पाठ में कोई मुख्य वाक्य भ्रमित करने वाला है तो यह अनर्थ

का कारण बन सकता है।

अनुवादक को दोनों (या सभी) भाषाओं में उपन्यास या समाचार पत्र पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि अनुवाद करना कैसा होता है। किसी नई दिशा में पहला कदम उठाना कभी आसान नहीं होता। हालांकि अनुवाद शुरू करना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन यह आपको एक आकर्षक क्षेत्र में ले जा सकता है। आप एक व्यापक, सर्वव्यापी फ्रीलांसिंग पेशा बनाने के लिए इसे लेखन के साथ जोड़ सकते हैं।

अनुवादकों की दो प्राथमिक श्रेणियां हैं: वे जो लिखित या प्रकाशित सामग्री के साथ काम करते हैं और वे जो बोली जाने वाली भाषा को सुनते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। अनुवादकों को आम तौर पर शब्द द्वारा भुगतान किया जाता है और कानूनी, व्यवसाय से संबंधित, तकनीकी, या साहित्यिक लेखन, सॉफ्टवेयर, या इंटरनेट से संबंधित वस्तुओं सहित कई प्रकाशनों पर काम कर सकते हैं। व्यावसायिक बैठकों, कानूनी प्रक्रियाओं, या अन्य आधिकारिक समारोहों में, अनुवादकों को आमतौर पर प्रति घंटे के आधार पर मानदेय दिया जाता है। वास्तविक समय में वक्ता के भाषण को समझने में सक्षम होने के लिए अत्यधिक कुशल अनुवादकों की आवश्यकता होती है, जिससे एक साथ व्याख्या करना सबसे चुनौतीपूर्ण अनुवाद विशेषताओं में से एक बन जाता है। जबकि व्याख्या करना एक कठिन

करियर हो सकता है।

अनुवाद सेवा कंपनियां ऐसे व्यक्तियों को पसंद करती हैं जिनके पास कम से कम दो भाषाओं में अच्छी प्रवीणता हो। यह अक्सर उस क्षेत्र के लिए भी सही होता है जिसमें एक अनुवादक की विशेषता हो सकती है। एक अनुवादक जिसने पिछले कई वर्षों में एक ही क्षेत्र और भाषा संयोजन में विशेषज्ञता हासिल की है, उसे उस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और संयोजनों में काम करने वाले से अधिक पसंद किया जाता है। उम्मीदवारों को कम से कम दो अन्य संस्कृतियों को अच्छी तरह से बोलना चाहिए। संभावित अनुवादकों को सांस्कृतिक अनुसंधान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अनुवाद किए जाने वाले किसी भी कार्य की सूक्ष्मताओं को समझना आवश्यक है। जिस क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, उस पर पूरा ध्यान दें। उदाहरण के लिए, यदि आप आईटी उद्योग में तकनीकी अनुवादक के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उस भाषा की आईटी शब्दावली का अध्ययन करने का विशेष प्रयास करें। भाषा की अपनी महारत को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से पढ़ना। किताबें और अन्य पठन सामग्री खोजने के लिए इंटरनेट एक बेहतरीन जगह है। स्वाभाविक वक्ता के साथ भाषा में बातचीत करने के किसी भी अवसर का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।

एक बार भाषा की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद, अनुवाद और दुभाषिया के कार्य की तलाश शुरू करें। होटल, वेकेशन रिसॉर्ट्स, ट्रेवल एजेंसियां, कई देशों में परिचालन वाले बहुराष्ट्रीय निगम और अन्य संगठन अनुवादकों और दुभाषियों का उपयोग करते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर उन क्षेत्रों का निर्धारण करें जिनमें आपने विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में कई अवसर हैं। कनिष्ठ अनुवादकों, वरिष्ठ अनुवादकों, विषय विशेषज्ञों और सहायक निदेशकों की आवश्यकता सभी सरकारी मंत्रालयों को होती है। कंप्यूटर क्षमताओं के मूल्य को कम करना असंभव है। हालाँकि इस नौकरी में कामयाब होने के लिए ठोस कंप्यूटर क्षमताओं में महारत हासिल करना नितांत आवश्यक है, भाषाएँ सीखने का कंप्यूटर का उपयोग करने से बहुत मदद मिलती है।

अजय कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

राजभाषा विभाग

मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे,
वाराणसी

प्रशंसा सबकी, निंदा किसी की नहीं

बात उन दिनों की है जब दास पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में एम. ए. का विद्यार्थी था। उन दिनों विवेक शौक जी भी विश्वविद्यालय में आया करते थे। उस समय उनके संपर्क में रहकर गुरुमत से रू-ब-रू होने का तीन वर्ष तक का अवसर मिलता रहा। एक बार वह युवा महोत्सव में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए हुए थे। कार्यक्रम संपन्न होने पर हम अपने मित्रों के साथ हॉस्टल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। सभी मित्र सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। विवेक शौक जी की उपस्थिति से आज सुखी कौन है? इस विषय पर अनौपचारिक विचार विमर्श चल रहा था। एक मित्र ने अपने लंबे चौड़े तर्क से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है परन्तु विवेक शौक जी ने सभी को यह मानने पर बाध्य कर दिया कि सुख का आधार धन-सम्पदा नहीं है।

दूसरे मित्र ने अपने तर्क से यह बताने की कोशिश की कि जिसके पास सद्गुणों से युक्त संतान है वह व्यक्ति सुखी है। परन्तु इस अवधारणा को भी विभिन्न तर्कों द्वारा नकार दिया गया। तत्पश्चात् दास ने कहा कि जो भगवान से नाता जोड़कर सत्संग, सेवा, सुमिरण करता है वह इन्सान सबसे ज्यादा सुखी है। बातचीत आगे बढ़ती रही और यह पक्ष भी सामने आया कि कई महापुरुष सत्संग, सेवा, सुमिरण करते हुए भी सुखी नहीं हैं। अन्त में पूज्य विवेक शौक जी ने कहा कि ऐसे लोग जो अपने मन के साथ समझौता करना जानते हैं वही इस दुनिया में सुखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर किसी की जिन्दगी में उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन उन पलों में, उन परिस्थितियों में मन को समझाने की कला जानने वाला ही सुखी होता है। कोई भी समस्या हो उसका समाधान समझौता ही है। कोई भी समझौता किसी दूसरे के साथ बाद में होता है यह समझौता पहले अपने मन के साथ होता है। जो आदमी हर परिस्थिति में अपने मन के साथ समझौता करना जानता है वह वास्तव में सुखी है। विवेक शौक जी द्वारा लिखित निम्नलिखित पंक्तियाँ भी इसी तथ्य को प्रतिपादित करती हैं-

प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है।
उन्ही के लिए, जिन्दगी आसान है।

विवेक शौक जी ने स्वयं अपनी जिन्दगी में उतार-चढ़ाव के बावजूद कभी किसी प्रकार का गिला-शिकवा नहीं किया बल्कि अपने ही शब्दों को जीवन में ढालकर सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। जिसने भी उनकी बात को मन से स्वीकार किया वह हर हाल में राजी व खुशहाल हुआ है।

एक बार संत निरंकारी सत्संग भवन सेक्टर 15-डी चंडीगढ़ में सत्संग की अध्यक्षता करते हुए विवेक शौक जी ने एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि कभी भी हमें गुरुभक्तों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जिस किसी से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं उसकी प्रशंसा के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सद्गुरु ने सबको एक जैसा ज्ञान दिया है। जिस प्रकार माली हर पौधे का पालन-पोषण करने के लिए स्वयं मेहनत करता है उसी प्रकार सद्गुरु भी हर गुरुसिख के उत्थान के लिए एक समान मेहनत करता है। अगर कोई इंसान बाग में खड़े होकर एक फूल की तारीफ और दूसरे फूलों की अनदेखी करता है तो अनजाने में वह इंसान उस माली की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा होता है जिसने सभी फूलों को सुन्दर रूप देने के लिए खून-पसीना एक किया। इसी प्रकार यदि हम किसी गुरुसिख की बड़ाई और किसी अन्य की अनदेखी या निंदा करते हैं तो हम सद्गुरु की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि सद्गुरु तो सभी गुरुसिखों को सुन्दर रूप देने के लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं इसलिए हम भी हमेशा यह ध्यान रखें कि प्रशंसा सबकी परन्तु निंदा किसी की भी न किया करें।

बलदेव नागपाल
भिवानी, हरियाणा

गज़ल

हम तेरे क्या थे,
ये तुमने कभी सोचा न किया
राह में छोड़ के तन्हा मुझे,
अच्छा न किया बेवजह तुमने किया,
सच को छिपाने पे गुमां
सच तो ये है कि तुम्हें,
हमने ही रुसवा न किया अपनी दौलत पे,
अगर नाज़ किया है तुमने तो उसूलों का,
कभी हमने भी सौदा न किया
हम बसे रहते,
इन आंखों में, अजनबी की तरह
तुमने इतना भी, मुहब्बत में गंवारा न किया
जब गुजरते हैं, शहर से तेरे, तो लगता है
जो किया तुमने, मेरे साथ मैं अच्छा न किया
हम उसी मोड़ पर अब भी हैं, जहां पर बिछड़े
अपनी चाहत पे, कभी तुमने भरोसा न किया
किस कदर आंख भरी है, तेरी याद आने पर
उम्र भर वक़्त ने, इस दर्द को बूढ़ा न किया
जैसे मिलने की कोई आस हो, मेरी बाक़ी
रूह ने वक़्त-ए-जनाज़ा,
मुझे ठंडा न किया जाने क्यों आस है
मिलने की उसी से "अनुराग"
जिसने झूठा भी कभी,
आने का वादा न किया
अनुराग "मैनपुरी"

गंगासागर



गुलाबी ठंड की सुबह अत्यन्त शीतल होती है, दुबे जी अपने अम्मा-दादा और श्रीमती के साथ कोमट धूप का आनन्द ले रहे थे। उनका प्रवेशद्वार खटका, उन्होंने देखा कि पड़ोसी शुक्ल जी बड़े तेज कदमों से उनकी ओर आ रहे हैं। उनके पास आकर शुक्ल जी बोले, दुबे जी, नमस्कार, चाचा-चाचीजी प्रणाम, भाभी जी नमस्ते। पास रखी कुर्सी में बैठकर, प्लेट से बिस्कुट हाथ में लेकर वे आगे बोले, अगले माह सपरिवार गंगासागर जा रहे हैं। ये टिकट कन्फर्म करा दीजिए और टिकट दुबे जी के हाथ में थमा दी। टिकट देखकर दुबे जी बोले, शुक्ल जी, चाची-चाचा को साथ नहीं ले जा रहे।

नहीं, अम्मा-बाबू की देखरेख के लिए सर्वेन्ट से बोल दिया है और फिर छोटा भाई अशोक और बहू भी आ जायेंगे। थोड़ा रुककर वे फिर बोले, आप भी चलिए आपका साथ रहने से, रेल सारा इंतजाम चुटकी में कर देगी। हमको भी लाभ मिलेगा।

इसके पहले दुबे जी कुछ कहें, श्रीमती दुबे बोल पड़ी, भाई साहब, हमारा गंगासागर तो यही है, हमारे पास गंगा-मां सी पावन और शीतल हमारी अम्मा और सागर से विराट हृदय के हमारे दादाजी। फिर हम क्यों जाएं गंगासागर। दुबे जी ने देखा अखबार पढ़ रहे उनके दादा जी, अखबार के एक कोने को किंचित मोड़कर उसे अपने चश्में के अंदर डालकर आंख की कोर में उभरी किसी चीज को पोछ रहे हैं और अम्मा, नयनों से निष्कासित किसी चीज को अपने आंचल से पोछ रही है।

लक्ष्मण शिवहरे

पूर्व उपमहाप्रबंधक

पूर्वोत्तर सीमा रेल, गुवाहाटी

वर्तमान पता : कलार लेन, सीताबर्डी, नागपुर

ग़ज़ल



मंज़र हमें यहाँ कोई
अच्छा नहीं लगा
इनमें कोई भी रंग
तुम्हारा नहीं लगा

जब तक कि इस सफ़र में मेरे हमक़दम थे तुम
ये इश्क़ मुझको आग का दरिया नहीं लगा

जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर
उस दिन से गाँव में कोई मेला नहीं लगा

कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए
सानी के जैसा मिसरा- ए - ऊला नहीं लगा

मेरी नज़र पड़ी है रियर-व्यू-मिरर पे जब
जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा

दामन पे जो लहू है मेरी ख्वाहिशों का है
किरदार पे मेरे कभी धब्बा नहीं लगा

लोगों ने रहनुमाओं की तक़रीर क्या सुनी
साया भी अपना फिर उन्हें अपना नहीं लगा
आलोक यादव

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली (मध्य)
28, कम्यूनिटी सेंटर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
दिल्ली - 110088

ग़ज़ल



ख़ुशबुओं से महक रही है हवा
डाली डाली फुदक रही है हवा
धूल मौसम की छूटती ही
नहीं

कब से दामन झटक रही है हवा

बिजलियां रास्ता दिखाती हैं
और दर-दर भटक रही है हवा

घर में खिड़की बची न दरवाजे
बाहर अब सर पटक रही है हवा

बर्फ़ गिरने लगी पहाड़ों पर
जिस्म को अपने ढक रही है हवा

दिन में गूंगी बनी थी क्यों 'आलोक'
रात में क्यों चहक रही है हवा

आलोक यादव

alokyadav1@rediffmail.com

Mob : ९४१२७३६६८८

कार्यालय में प्रयोग में आने वाली नेमी टिप्पणियाँ

Action at once please	-	कृपया तुरंत कार्रवाई करें
Address all concerned	-	सर्व सम्बंधित को लिखा जाए
All concerned to note	-	सर्व सम्बंधित नोट करें
As a special case	-	विशेष मामले के रूप में
As early as possible	-	यथाशीघ्र/जितनी जल्दी हो सके
As per extant orders	-	वर्तमान आदेशों के अनुसार
Call for explanation	-	स्पष्टीकरण मांगा जाए
Carry out orders	-	आदेश का पालन करें
Continue in office	-	पद पर बने रहना
Duly verified	-	विधिवत् सत्यापित
Enquiry has been ordered	-	जांच का आदेश दिया गया है
Estimate is under preparation	-	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है
Ex-gratia payment	-	अनुग्रह के रूप में भुगतान
Ex-party judgement	-	एकपक्षीय निर्णय
Post facto sanction	-	कार्योत्तर मंजूरी
Failing which	-	ऐसा न करने पर
For further action	-	अगली कार्रवाई के लिए
Fix a date for meeting	-	बैठक के लिए तारीख नियत करें
For information only	-	केवल सूचना के लिए
General manager's sanction is necessary	-	महाप्रबंधक की मंजूरी आवश्यक है
Give details	-	विस्तृत जानकारी दें
Give top priority	-	सर्वोच्च प्राथमिकता पर
Held in abeyance	-	आस्थगित रखा जाए
Immediate action please	-	तत्काल कार्रवाई करें
In any special case	-	किसी मामले विशेष में
In confirmation	-	की पुष्टि में
In connection with	-	के सम्बन्ध में
In exercise of	-	का प्रयोग करते हुए
In lieu of	-	के बदले में
It is suggested that	-	सुझाव है कि
Joined duty	-	कार्यभार ग्रहण किया
Justify your proposal	-	अपने प्रस्ताव का औचित्य दें
Keeping in view	-	दृष्टि में रखते हुए



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



26 नवम्बर, 2022 को “संविधान दिवस” के अवसर पर मंडल के अधिकारियों एवं समस्त रेलकर्मियों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराती हुई मंडल रेल प्रबन्धक श्रीमती रेखा यादव।

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



21 अक्टूबर, 2022 को आयोजित मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इज्जतनगर की बैठक में तत्कालीन मरेप्र श्री आशुतोष पंत, अमरेप्र (इंफ्रा), श्री विवेक गुप्ता, अमरेप्र (परिचालन) एवं अपर मुराधि श्री राजीव अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी गण।



23 नवम्बर, 2022 को पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ, इज्जतनगर के तत्वावधान में रोड नं. 4 स्थित स्काउट कुटीर में आयोजित छठवीं जिला रैली एवं क्विज प्रतियोगिता।

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ

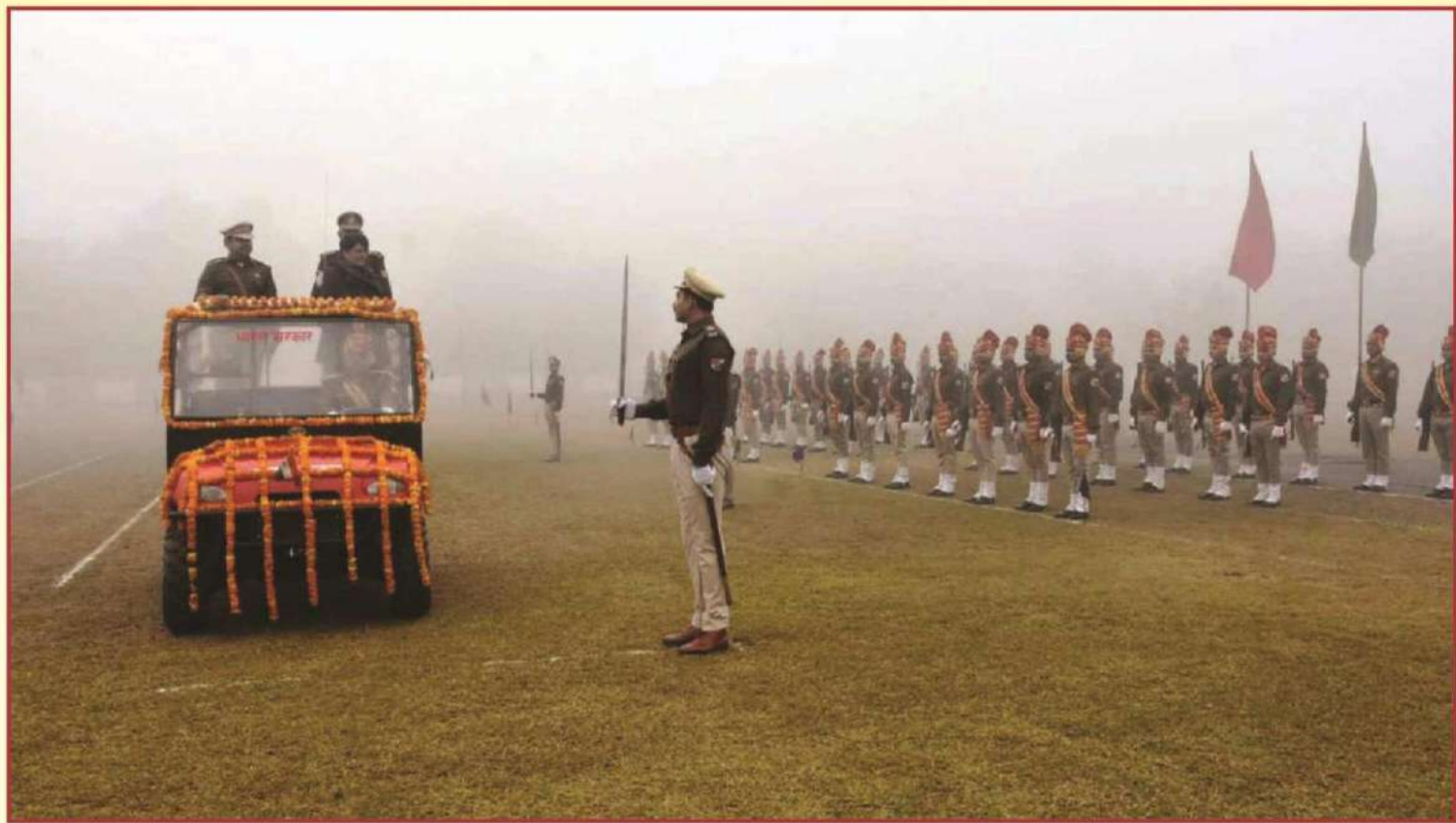


इज्जतनगर में 14 से 21 सितंबर तक आयोजित 'राजभाषा सप्ताह समारोह 2022' के समापन पर मंडल रेल प्रबंधक श्री आशुतोष पन्त ने 'राजभाषा सप्ताह' के अंतर्गत हुई हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया।



दिसम्बर, 2022 को अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) श्री राजीव अग्रवाल ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ), काशीपुर के अधीन कार्यरत ट्रैक मेंटेनर श्री अनुज कुमार को संभावित रेल दुर्घटना को टालने के लिए दो हजार रुपये का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



गणतंत्र दिवस परेड का अवलोकन करती हुई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेखा यादव जी



15 नवम्बर 2022 को मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय इज्जतनगर में भगवान बिरसा मुंडा जन्मोत्सव, “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर माल्यार्पण करती हुई मंडल रेल प्रबन्धक श्रीमती रेखा यादव जी।

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



29 नवम्बर, 2022 को काशीपुर में नव स्थापित कर्षण उपकेन्द्र का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए प्रमुख विद्युत इंजीनियर श्री ए.के. शुक्ला तथा मंडल रेल प्रबन्धक श्रीमती रेखा यादव जी



17 दिसम्बर 2022 को सामुदायिक केन्द्र इज्जतनगर में आयोजित 'संरक्षा सेमिनार' का शुभारम्भ करते हुए मुख्य अतिथि, प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, श्री मुकेश मेहरोत्रा तथा मंडल रेल प्रबन्धक, इज्जतनगर श्रीमती रेखा यादव जी।

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



15 दिसम्बर, 2022 को आयोजित पेंशन अदालत की अध्यक्षता करती हुई मंडल रेल प्रबन्धक श्रीमती रेखा यादव जी



30 नवम्बर, 2022 को रामनगर में इलेक्ट्रिक ट्रेन का निरीक्षण करते हुए रेलवे के अधिकारीगण।



29.11.2022 को प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री ए.के. शुक्ला जी तथा मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेखा यादव जी इज्जतनगर मंडल के नव विद्युतीकृत रामनगर-काशीपुर-कटघर (मुरादाबाद) रेल खंड का विशेष निरीक्षण करते हुए।

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



25 नवम्बर 2022 को साहित्यकार पं. राधेश्याम कथावाचक की जयंती पर
बरेली सिटी स्टेशन पर आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी का दृश्य

इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



23 दिसम्बर 2022 को मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, इज्जतनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री चन्द्र वीर रमण, मंडल रेल प्रबन्धक, इज्जतनगर श्रीमती रेखा यादव, अपर मंडल रेल प्रबन्धक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) श्री विवेक गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबन्धक (परिचालन) श्री राजीव अग्रवाल तथा शाखा अधिकारीगण।

26 जनवरी, गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियाँ





अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में 14.03.2023 को आयोजित वॉकथॉन में भाग लेती हुई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेखा यादव जी एवं अन्य महिला अधिकारी तथा कर्मचारीगण।



13 से 18 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में 15.03.2023 को अध्यक्ष, पूर्वांतर रेलवे महिला कल्याण संगठन एवं मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर श्रीमती रेखा यादव जी के मुख्य आतिथ्य में रोड सं. 2 इज्जतनगर स्थित रेलवे अधिकारी क्लब के प्रेक्षागृह में महिलाओं के स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन, योग, ध्यान, सचेतना एवं भलाई विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 13.04.2023 को आयोजित 'रोजगार मेला' की झलकियाँ



13 अप्रैल, 2023 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल पर मैत्री सामुदायिक केन्द्र, इज्जतनगर के प्रेक्षागृह में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री (भारत सरकार) श्री अजय कुमार मिश्रा जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद व पूर्व राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार तथा विधायक कैंट (बरेली) श्री संजीव अग्रवाल जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर श्रीमती रेखा यादव जी गणमान्य अतिथियों के साथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए।

श्री राजीव अग्रवाल, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा प्रकाशित